RNI No.UTTHIN/2015/68784 www.twnews.in हिन्दी मासिक पत्रिका

टाईम विटनेस

वर्ष :10 अंक :11 जून 2025 मूल्य : रु 15/-

क्योंकि हम उठायेंगे आपकी आवाज!

सूचना विभाग में मुख्यमंत्री के नाम पर भ्रष्टाचार का खुला खेल

✦ मुख्यमंत्री की स्वीकृति या गुमराही?
✦ मुख्यमंत्री की मंजूरी के बहाने नियमों की हत्या

आतंक पर जीतः एक पेचीदा सवाल

10

कोहिनूर
आर्ट ज्वैलर्स
एक अनमोल रिश्ता
सोना, चांदी के
जेवरातों के विक्रेता
68 माजरा, सहारनपुर रोड
देहरादून,
मो. : 9837359716
अब बेटी की
शादी के जेवर
की चिंता छोड़ें
कोहिनूर आर्ट ज्वैलर्स
से नाता जोड़ें

गुरू फॉरेन्सिक एण्ड डिटेक्टिव एजेंसी
1. घरेलू निगरानी
2. निजी अत्याचार की जांच
3. बच्चों की सुरक्षा व उनका उत्पीड़न
4 विवाह सम्बंधित जांच करवाना
5. पति/पत्नी में मतभेद की जांच करवाना
6. फिंगर प्रिन्ट निरीक्षण
7. हस्तलेख व हस्ताक्षर जांच
8. विवादास्पद प्रलेख जांच में दक्ष
हेड ऑफिस :– गली न0–5, मोनाल एनक्लेव, बंजारावाला, देहरादून।
ब्रांच :– नथनपुर, रिंग रोड, जोगीवाला, देहरादून।
फोन न0. 0135–2532999, 9675331055, 9568728805
E-mail:- guruforensic2015detective@gmail.com

PRAYAG IAS Academy

Uttarakhand's Leading Institute for IAS/PCS, PCS (J)
Prayag IAS College Maan Singh Waala, Dehradun, Ph. No. 0135-2744550

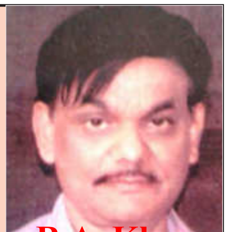

R.A. Khan
Director

आरएनआई संख्याः UTTHIN/2015/68784

टाईम विटनेस

मासिक पत्रिका वर्षः 10 अंक : 11

जून 2025

सह संरक्षक	डॉ. संजय गांधी
	सलीम अहमद
विशेष सलाहकार	विजय खण्डूड़ी
कानूनी सलाहकार	मनमोहन कण्डवाल (एडवोकेट)
संपादक	अफरोज़ खाँ
सह संपादक	अशोक रावत
उत्तर प्रदेश प्रभारी	शादाब अली
उत्तराखण्ड ब्यूरो चीफ	इफ्तेखार अंसारी
पछवादून प्रभारी	संजय कुमार
व्यवस्थापक	मेघराज सिंह राठौर
ब्यूरो चीफ, उन्नाव	अनवार अहमद
संवाददाता	बाबू हसन

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अफरोज खाँ द्वारा आाईशा प्रिन्टिंग प्रैस, चुक्खुवाला, देहरादून से मुद्रित कराकर, नियर रिवरेन पब्लिक स्कूल, ब्राह्मणवाला, निरंजनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड से प्रकाशित।

संपादक अफरोज खाँ

पत्रिका से संबंधित किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला- देहरादून ही मान्य होगा।

अन्दर के पृष्ठ में

14 उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की अस्तित्व की जद्दोजहद

16 सवालों के घेरे में उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना

20 चारधाम श्रद्धालुओं के लिए मौत के उड़नखटोले बन रहे है हेलीकॉप्टर!

क्षेत्रीय कार्यालय टाईम विटनेस

68 माजरा सहारनपुर रोड नियर होटल सुंदर पैलेस, देहरादून, उत्तराखण्ड।
मो0 7409293012, 9084366323
ई-मेलः timewitness2015@gmail.com, afrojkhan78600@gmail.com

नोटः जरूरी नहीं कि लेखक के लिखे लेख से सम्पादक सहमत हो, एवं सभी पद परिवर्तनीय है व सभी सदस्य अवैतनिक है।

'जीरो टॉलरेंस' की चुनौती

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाने की घोषणा की थी। लेकिन जब उन्ही के अन्तर्गत विभाग में भारी अनियमितता देखने को मिले तो, मामला और चिंताजनक हो जाता है।

उत्तराखंड को देश का एक शांत, आध्यात्मिक और पर्यटन समृद्ध राज्य माना जाता है। देवभूमि की छवि लिए यह प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, उन्होंने न केवल शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि मुख्यमंत्री की 'जीरो टॉलरेंस' नीति की भी गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं। पिछले छह महीनों में उत्तराखंड में एक दर्जन से अधिक भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं। इनमें से कई में उच्च अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आई है। नैनीताल कोषागार में घूसखोरी से लेकर हरिद्वार में ज़मीन घोटाले तक, जहां दो आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी सहित कुल 12 कर्मचारियों को निलंबित किया गया, ये सभी घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि भ्रष्टाचार सरकारी तंत्र की जड़ों में गहराई तक बैठा हुआ है। इसके अतिरिक्त, बागेश्वर में रिटायर्ड कर्नल द्वारा रिश्वत लेने का मामला, जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त पर भ्रष्टाचार का आरोप, और देहरादून में एक दरोगा द्वारा एक लाख रुपये की रिश्वत मांगने जैसी घटनाएं आम जनता के मन में शासन की नीयत और व्यवस्था की पारदर्शिता को लेकर चिंता उत्पन्न करती हैं। विशेष रूप से सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में उजागर हुआ मामला उत्तराखंड की नौकरशाही की गहराई तक फैले भ्रष्टाचार को दर्शाता है। नियमों को तोड़–मरोड़ कर चहेते समाचार पत्रों को लाखों रुपये के विज्ञापन दिए गए, जबकि कई योग्य, सूचीबद्ध समाचार पत्रों को नजरअंदाज कर दिया गया। 'विशेष परिस्थिति' की परिभाषा को अस्पष्ट बनाए रख कर इसका दुरुपयोग किस प्रकार होता है, इसका यह एक सटीक उदाहरण है। यह न केवल वित्तीय संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि नीति और सिद्धांतों की भी खुली अवहेलना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाने की घोषणा की थी। लेकिन जब उन्ही के अन्तर्गत विभाग में भारी अनियमितता देखने को मिले तो, मामला और चिंताजनक हो जाता है। किसी भी सूरत में, यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ विश्वासघात जैसा है। पिछले तीन वर्षों में राज्य में 150 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया गया है। यह संख्या एक ओर दर्शाती है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन यह भी बताती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। यदि हर छह महीने में एक दर्जन से अधिक मामले सामने आएं, तो यह सोचना भी जरूरी है कि आखिर कितने मामले दबे रह जाते हैं? इसे रोकने लिए जरूरी है कि भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों में सरकार का भय होना जरूरी है इसके लिए किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में निष्पक्ष जांच और उसकी सार्वजनिक रिपोर्ट जरूरी है। चाहे वह किसी भी स्तर का अधिकारी हो। भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले पत्रकारों और आरटीआई कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय को स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि वह इस प्रकार के मामलों में क्या रुख रखता है–कार्रवाई का या चुप्पी का?

कड़वी हकीकत

पत्रकारिता करना अब आसान नहीं रहा

शिब्ली रामपुरी
लेखक

> **"यह कहना गलत नहीं होगा कि आज ईमानदाराना तरीके से पत्रकारिता करना बहुत कठिन होता जा रहा है।"**

पत्रकारिता करना अब काफी मुश्किल हो चला है और बहुत से पत्रकार ऐसे भी हैं कि जो पूरी तरह से बेरोजगार होकर रह गए हैं, क्योंकि उन्होंने किसी संस्थान में रहते हुए अपने उसूलों से समझौता नहीं किया तो इसलिए या तो उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया या फिर उन्होंने खुद ही अखबार या टीवी चैनल को अलविदा बोल दिया।

अक्सर आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे कि जिसमें पत्रकारों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है या फिर उनको किसी कार्यक्रम से चले जाने के लिए कह दिया जाता है तो यह वह कड़वी हकीकत है। पत्रकारिता की जिससे न जाने क्यों पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग मुंह मोड़ लेता है, जबकि ऐसे मुद्दे पर बात होनी चाहिए और इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि आखिर कुछ पत्रकारों के साथ यदि ऐसा हो रहा है तो वह क्यों हो रहा है?

मैं समझता हूं कि दैनिक अखबार हो या साप्ताहिक समाचार पत्र उनकी अपनी अहमियत है और साप्ताहिक समाचार पत्र तो इसलिए भी बड़ी अहमियत रखते हैं, क्योंकि उनमें जो खबरें प्रकाशित होती हैं वह स्थानीय से लेकर हर जगह पर पढ़ी जाती हैं जबकि आज बड़े समाचार पत्रों में ऐसा नहीं है, उनके स्थानीय संस्करण प्रकाशित होते हैं जिनका खबरों का दायरा उसी जिले तक होता है।

बहरहाल बात पत्रकारिता करने की चल रही है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि आज ईमानदाराना तरीके से पत्रकारिता करना बहुत कठिन होता जा रहा है। कई वरिष्ठ पत्रकारों का यह कहना है कि वह जिस तरह की खबरें लिखकर संपादक को भेजते हैं तो जरूरी नहीं है कि उनकी खबरें ज्यों की त्यों प्रकाशित की जाएं। कई बार तो उनकी खबरों को तोड़ मरोड़ दिया जाता है या फिर अखबार में जगह ही नहीं मिलती।

वैसे तो आजकल सोशल मीडिया का चलन है पत्रकार अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से भी रख सकते हैं और रख भी रहे हैं, लेकिन यह एक कड़वा सच्चाई है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकारी स्तर पर अभी कानून का अभाव है और इसी का फायदा कुछ दबंग क़िस्म के लोग अक्सर पत्रकारों पर अत्याचार करके उठा लेते हैं।

सूचना विभाग में मुख्यमंत्री के नाम पर भ्रष्टाचार का खुला खेल

- ✦ मुख्यमंत्री की स्वीकृति या गुमराही?
- ✦ मुख्यमंत्री की ज़ीरो टॉलरेंस नीति पर उठे सवाल
- ✦ मुख्यमंत्री की मंजूरी के बहाने नियमों की हत्या

अशोक रावत,
सह संपादक

उत्तराखंड का सूचना एवं लोक संपर्क विभाग एक बार फिर चर्चा में है, मगर अपने कार्यों के लिए नहीं, कुचालों के लिए। नियमों की चादर ओढ़कर, पारदर्शिता की चादर तानकर विभाग ने ऐसा भ्रष्टाचार किया है कि स्वयं नियमावली भी न्याय मांगने लगी है।

नियमों में कैसे हेरा–फेरी कर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया जाता है यह कोई सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के अधिकारियों से सीखे। सूचना विभाग के अधिकारियों की और से सरकारी दस्तावेजो में की गई जालसाजी का एक नया मामला सामने आया है। जिसमें अधिकारियों की और से अपने चहेते समाचार पत्र/पत्रिकाओं के संचालको को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी दस्तावेजो में गलत तरीके से नियमावली का हवाला दिया जा रहा है।

विभाग ने नियमों को अपनी सुविधानुसार किस प्रकार मोड़ा है, इसका एक उदाहरण देखते चले। ''उत्तराखंड प्रिंट मीडिया

विज्ञापन नियमावली–2015 (संशोधित)'' के नियम 10.2(घ) को हथियार बनाकर विभाग ने कुछ ऐसे समाचार पत्रों को लाखों के विज्ञापन बांट दिए, जो न तो विज्ञापन पाने की शर्तों पर खरे उतरते हैं और न ही सूचीबद्ध हैं। इस नियम का प्रावधान कहता है, "प्रदेश से प्रकाशित जिन समाचार पत्रों द्वारा विशेषांक के रूप में विज्ञापन की मांग की जायेगी, उन्हें उनकी उपयोगिता एवं प्रसार संख्या को दृष्टिगत रखते हुए विशेष परिस्थितियों में डीएवीपी/विभागीय दर पर विज्ञापन दिये जा सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में व्यावसायिक दरों पर विज्ञापन विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही दिये जा सकेंगे। राज्य गठन 09 नवम्बर 2000 से पूर्व राज्य के पर्वतीय क्षेत्रो से नियमित रूप से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को विशेषांक हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।" यह नियम सूचीबद्ध समाचार पत्र/पत्रिकाओं के लिए बनाया गया है। लेकिन इस नियम को ध्यान से पढ़िए और फिर देखिए कि इसका उल्टा कैसे किया गया।

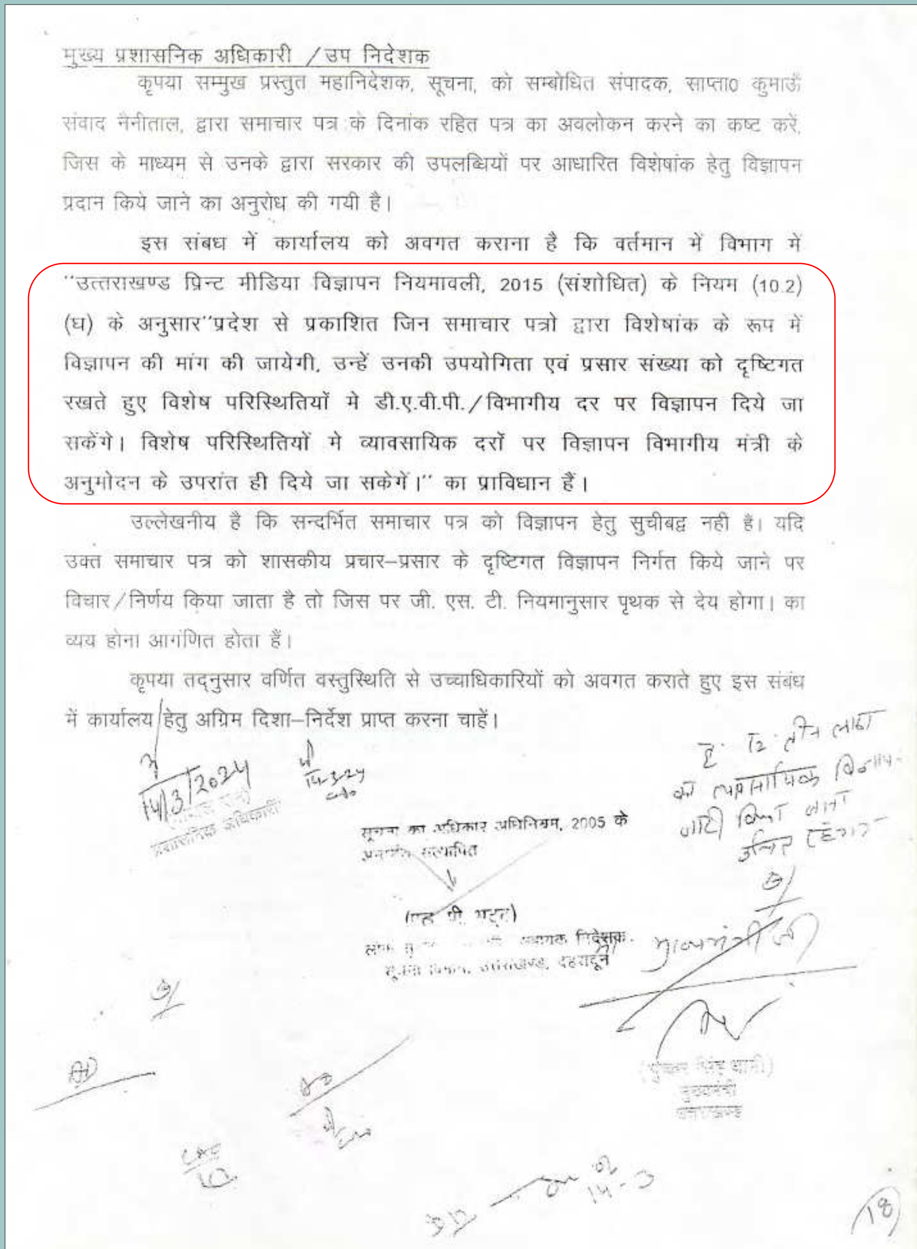

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /उप निदेशक

कृपया सम्मुख प्रस्तुत महानिदेशक, सूचना, को सम्बोधित संपादक, साप्ता0 कुमाऊँ संवाद नैनीताल, द्वारा समाचार पत्र के दिनांक रहित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिस के माध्यम से उनके द्वारा सरकार की उपलब्धियों पर आधारित विशेषांक हेतु विज्ञापन प्रदान किये जाने का अनुरोध की गयी है।

इस संबध में कार्यालय को अवगत कराना है कि वर्तमान में विभाग में "उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली, 2015 (संशोधित) के नियम (10.2) (घ) के अनुसार"प्रदेश से प्रकाशित जिन समाचार पत्रो द्वारा विशेषांक के रूप में विज्ञापन की मांग की जायेगी, उन्हें उनकी उपयोगिता एवं प्रसार संख्या को दृष्टिगत रखते हुए विशेष परिस्थितियों मे डी.ए.वी.पी./विभागीय दर पर विज्ञापन दिये जा सकेंगे। विशेष परिस्थितियों मे व्यावसायिक दरों पर विज्ञापन विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरांत ही दिये जा सकेगें।" का प्राविधान हैं।

उल्लेखनीय है कि सन्दर्भित समाचार पत्र को विज्ञापन हेतु सुचीबद्व नही हैं। यदि उक्त समाचार पत्र को शासकीय प्रचार–प्रसार के दृष्टिगत विज्ञापन निर्गत किये जाने पर विचार/निर्णय किया जाता है तो जिस पर जी. एस. टी. नियमानुसार पृथक से देय होगा। का व्यय होना आगंणित होता हैं।

कृपया तदनुसार वर्णित वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए इस संबंध में कार्यालय हेतु अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त करना चाहें।

14/3/2024

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सत्यापित

(एन. पी. भट्ट)

संयुक्त निदेशक

सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

(पुष्कर सिंह धामी)
मुख्यमंत्री
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
(विज्ञापन प्रभाग)

यह फोटो प्रतिलिपि हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र 'कुमाऊं संवाद' है। जिसे तीन लाख का विज्ञापन दिया गया है। जो विभाग में विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध नहीं है। सुत्रो की माने तो इसका आरएनआई प्रमाणपत्र भी नहीं है। गौरतलब है कि सभी समाचार पत्रों को आरएनआई प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होता है इसके बगैर समाचार पत्र विभागो सूचीबद्ध नहीं किया जाता है। और न ही कोई दूसरा सरकारी विभाग विज्ञापन दे सकता है।

न कोई मानक, न सूचीबद्ध, फिर भी लाखों का 'विशेष' स्नेह

जिन समाचार पत्रों को यह लाभ दिया गया:–

- वे 2023 और 2024 में पंजीकृत हुए।
- सूचना विभाग की सूचीबद्धता में दर्ज ही नहीं हैं।
- किसी क्षेत्रीय भाषा/बोली में नहीं छपते।
- न ही वे राज्य गठन से पूर्व किसी पर्वतीय क्षेत्र से प्रकाशित हो रहे थे।

यानि चारों ओर से नियमों को दरकिनार कर सिर्फ़ 'विशेष स्थिति' की आड़ में उन्हें 2.5 से 5 लाख रुपये तक के विज्ञापन दे दिए गए। आश्चर्य की बात यह है कि वही विज्ञापन सूचीबद्ध और अधिक प्रसार संख्या वाले अख़बारों में 25,000 से 50,000 रूपये में छप सकते थे।

नियमावली की कब्र पर विज्ञापन का मेला

यह 'विज्ञापन उत्सव' बिना दस्तावेज़ी चमत्कार के संभव नहीं था। आरोप है कि दस्तावेज़ों में नियमों को तोड़ा-मरोड़ा गया, ताकि चुने हुए समाचार पत्रों को फायदा पहुंचाया जा सके। यह सिर्फ़ वित्तीय घोटाला नहीं, बल्कि नीति और नियमों के साथ जानबूझकर की गई छेड़छाड़ है- जो कि अपराध की श्रेणी में आता है।

मुख्यमंत्री की स्वीकृति भी संदेह के घेरे में

सबसे गंभीर सवाल यह है कि इन सभी फाइलों पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन लिया गया है। अब यह जानना जरूरी है, कि:- क्या उन्हें सही जानकारी दी गई? या दस्तावेज़ों में कूटरचित जानकारी देकर उनकी स्वीकृति ली गई? यदि उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई, तो यह सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को गुमराह करने की साजिश है। और यदि मुख्यमंत्री को सब पता था, तो फिर ज़ीरो टॉलरेंस नीति महज़ एक चुनावी जुमला बनकर रह जाती है।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/उप निदेशक

कृपया सम्मुख प्रस्तुत महानिदेशक महोदय को सम्बोधित संपादक, हिन्दी साप्ताहिक मिशन जागृति, देहरादून के दिनांक रहित पत्र का अवलोकन करना चाहें। जिसके माध्यम से उनके द्वारा संदर्भित समाचार पत्र हेतु सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित विज्ञापन दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में कार्यालय को अवगत कराना है कि वर्तमान में "उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली-2015" (संशोधित) के नियम "10.2(घ) प्रदेश से प्रकाशित जिन समाचार पत्रों द्वारा विशेषांक के रूप में विज्ञापन की मांग की जायेगी, उन्हें उनकी उपयोगिता एवं प्रसार संख्या को दृष्टिगत रखते हुए विशेष परिस्थितियों में डी.ए.वी.पी./विभागीय दर पर विज्ञापन दिये जा सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में व्यवसायिक दरों पर विज्ञापन विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही दिये जा सकेगें, राज्य गठन 09 नवम्बर, 2000 से पूर्व राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से नियमित रूप से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को विशेषांक हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड भाषा विभाग द्वारा स्वीकृत क्षेत्रीय बोलियों, भाषाओं के समाचार पत्रों को स्वीकृत दरों की दोगुनी दरों पर विज्ञापन विशेषांक दिये जा सकते हैं", का प्राविधान है।

अवगत कराना है कि संदर्भित समाचार पत्र वर्तमान में विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध नहीं है। समाचार पत्र द्वारा विज्ञापन हेतु दर भी प्रस्तुत नहीं की है।

इसी कम मे यह भी उल्लेखनीय है कि यदि उक्त वर्णित समाचार पत्र को व्यावसायिक दरों पर विज्ञापन दिये जाने का विचार किया जाता है तो इस संबंध में विज्ञापन हेतु पृष्ठ एवं धनराशि के निर्धारण के साथ ही विभागीय मंत्री/मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा।

कृपया तदनुसार उपरोक्त वर्णित वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में अग्रिम दिशा-निर्देश प्राप्त करना चाहें।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत ...

(एल. पी. भट्ट)
लोक सूचना अधिकारी / उपनिदेशक
सूचना विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून

दी गई फोटो छायाप्रति साप्ताहिक हिन्दी समाचार पत्र मिशन जागृति की है जिसे चार लाख का विज्ञापन जारी किया गया है। जो सूचना विभाग में विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध नहीं है। और आरएनआई प्रमाण पत्र मिलते ही चार लाख का विज्ञापन जारी कर दिया गया। आरएनआई पत्र मिला 12 फरवरी 2024 को विज्ञापन जारी हो गया 06 मार्च 2024 को।

ORIGINAL

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA

पंजीयन प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION

प्रमाणित किया जाता है कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत इस समाचारपत्र को पंजीकृत कर लिया है :
This is to certify that this newspaper has been registered under the Press and Registration of Books Act, 1867 :

1. समाचार पत्र का नाम / Title of the Newspaper	मिशन जागृति MISSION JAGRITI
2. समाचार पत्र की पंजीयन संख्या / Registration Number of the Newspaper	UTTHIN/2023/86380
3. भाषा/भाषाएं, जिसमें/जिनमें समाचारपत्र प्रकाशित किया जाता है / Language/Languages in which it is published	हिन्दी /HINDI
4. इसके प्रकाशन का नियतकाल तथा जिस दिन/दिनों/तिथियों कोयह प्रकाशित होता है / Periodicity of its publication and the day/days/ dates on which it is published	साप्ताहिक WEEKLY
5. समाचारपत्र की फुटकर कीमत / Retail selling price of the newspaper	RS. 1/- PER COPY
6. प्रकाशक का नाम/Publisher's Name	SUMAN MITTAL
राष्ट्रीयता/Nationality	INDIAN
पता/Address	150/C, SHANTI VIHAR, GOVIND GARH, DIST-DEHRADUN-248001, UTTARAKHAND
7. मुद्रक का नाम/Printer's Name	SUMAN MITTAL
राष्ट्रीयता/Nationality	INDIAN
पता/Address	150/C, SHANTI VIHAR, GOVIND GARH, DIST-DEHRADUN-248001, UTTARAKHAND
8. सम्पादक का नाम/Editor's Name	SUMAN MITTAL
राष्ट्रीयता/Nationality	INDIAN
पता/Address	150/C, SHANTI VIHAR, GOVIND GARH, DIST-DEHRADUN-248001, UTTARAKHAND
9. जिस स्थान पर मुद्रण का काम होता है, उसका सही तथा ठीक विवरण / True and precise account at the premises where printing is conducted	PRINT CRAFTS OFFSET PRESS 36 OLD CONNAUGHT PLACE, DIST-DEHRADUN, UTTARAKHAND
10. प्रकाशन का स्थान / Place of publication	150/C, SHANTI VIHAR, GOVIND GARH, DIST-DEHRADUN-248001, UTTARAKHAND

दिनांक /Date:12/02/2024 आरएनआई प्रमाण पत्र जारी होने की तीथी

Cert Ser No. 78321

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक
REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA

आरोपों की जद में कौन हैं?

इस पूरे 'खेल' का संचालन करने का आरोप जिन अधिकारियों पर लग रहा है, उन्में महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग बंशीधर तिवारी, अपर निदेशक आशीष त्रिपाठी व उपनिदेशक रवि बिजरानियां का नाम सामने आ रहा है, इन पर आरोप है कि इन्होंने निजी लाभ और चहेतों को उपकृत करने के लिए सरकारी धन का मनमाना वितरण किया। अब यह जांच का विषय है, कि इन आरोपो में कितनी सच्चाई है।

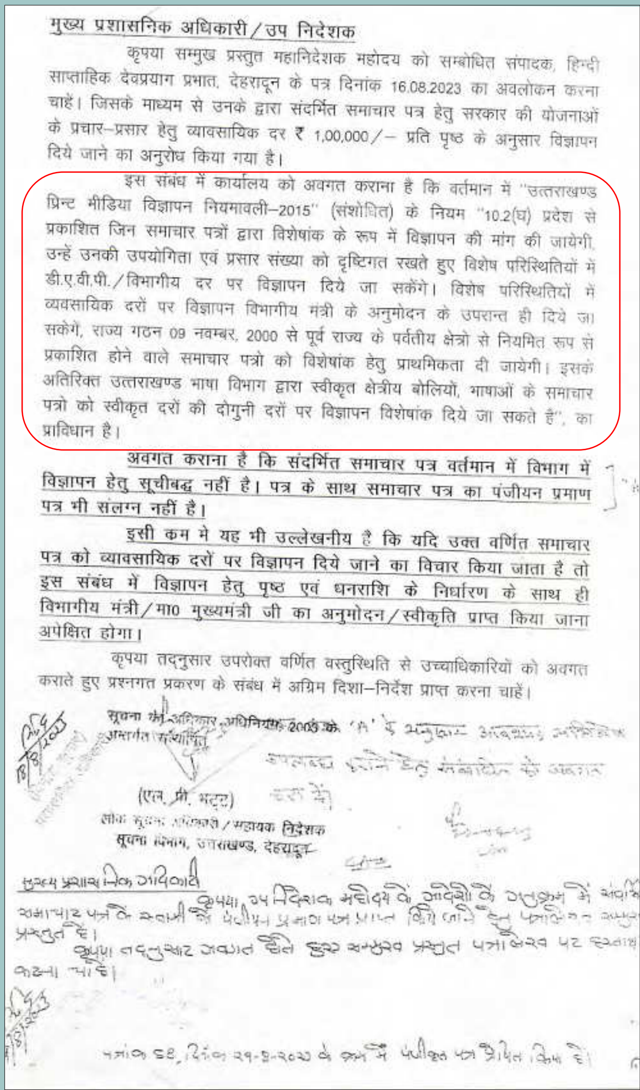

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / उप निदेशक

कृपया सम्मुख प्रस्तुत महानिदेशक महोदय को सम्बोधित संपादक, हिन्दी साप्ताहिक देवप्रयाग प्रभात, देहरादून के पत्र दिनांक 16.08.2023 का अवलोकन करना चाहें। जिसके माध्यम से उनके द्वारा संदर्भित समाचार पत्र हेतु सरकार की योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु व्यावसायिक दर ₹ 1,00,000/– प्रति पृष्ठ के अनुसार विज्ञापन दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में कार्यालय को अवगत कराना है कि वर्तमान में "उत्तराखण्ड प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नियमावली–2015" (संशोधित) के नियम "10.2(घ) प्रदेश से प्रकाशित जिन समाचार पत्रों द्वारा विशेषांक के रूप में विज्ञापन की मांग की जायेगी, उन्हें उनकी उपयोगिता एवं प्रसार संख्या को दृष्टिगत रखते हुए विशेष परिस्थितियों में डी.ए.वी.पी./विभागीय दर पर विज्ञापन दिये जा सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में व्यवसायिक दरों पर विज्ञापन विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही दिये जा सकेंगे, राज्य गठन 09 नवम्बर, 2000 से पूर्व राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से नियमित रूप से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को विशेषांक हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड भाषा विभाग द्वारा स्वीकृत क्षेत्रीय बोलियों, भाषाओं के समाचार पत्रों को स्वीकृत दरों की दोगुनी दरों पर विज्ञापन विशेषांक दिये जा सकते हैं", का प्राविधान है।

अवगत कराना है कि संदर्भित समाचार पत्र वर्तमान में विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध नहीं है। पत्र के साथ समाचार पत्र का पंजीयन प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं है।

इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि यदि उक्त वर्णित समाचार पत्र को व्यावसायिक दरों पर विज्ञापन दिये जाने का विचार किया जाता है तो इस संबंध में विज्ञापन हेतु पृष्ठ एवं धनराशि के निर्धारण के साथ ही विभागीय मंत्री/मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा।

कृपया तद्नुसार उपरोक्त वर्णित वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में अग्रिम दिशा–निर्देश प्राप्त करना चाहें।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के 'A' के अनुसार ...

(एन. पी. भट्ट)

लोक सूचना अधिकारी / सहायक निदेशक

सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

कृपया उप निदेशक महोदय के आदेशों के अनुक्रम में ...

यह दी गई फोटो छायाप्रति साप्ताहिक हिन्दी समाचार पत्र देवप्रयाग प्रभात तीन लाख का एक बार चार लाख का दूसरी बार विज्ञापन जारी किया गया है। जो सूचना विभाग में विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध नहीं है। और आरएनआई प्रमाण पत्र मिलते ही चार लाख का विज्ञापन जारी कर दिया गया। आरएनआई पत्र मिला 29 फरवरी 2024 को विज्ञापन जारी हो गया 06 मार्च 2024 को।

गौरतलब है कि यह नियमावली विभाग में सूचीबद्ध समाचार पत्रो के लिए है।

कुछ सवाल, जिनका जवाब जनता मांग रही है।

उत्तराखण्ड विज्ञापन नियमावली–2015" (संशोधित) के नियम 10.2(घ) सूचीबद्ध समाचार पत्रो के लिए है या गैर सूचीबद्ध समाचार पत्रो के लिए?

'विशेष परिस्थिति' की परिभाषा क्या थी? क्या उसका दस्तावेज़ी प्रमाण है?

जब दर्जनों सूचीबद्ध, योग्य समाचार पत्र पहले से मौजूद हैं, तो गैर–सूचीबद्धों को ही क्यों चुना गया?

क्या इस प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच की जाएगी? दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी?

क्या मुख्यमंत्री कार्यालय खुद को इस निर्णय से अलग करेगा या जवाबदेही लेगा?

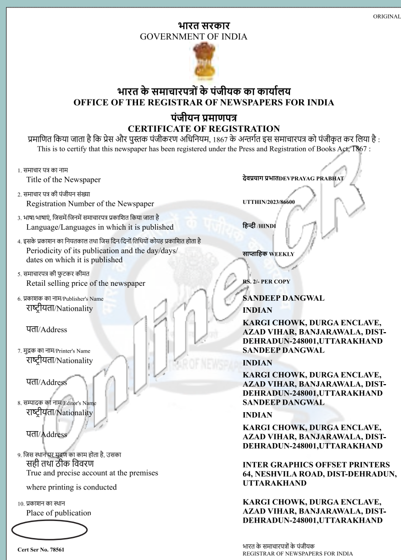

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA

पंजीयन प्रमाणपत्र
CERTIFICATE OF REGISTRATION

This is to certify that this newspaper has been registered under the Press and Registration of Books Act, 1867 :

Title of the Newspaper	देवप्रयाग प्रभात DEVPRAYAG PRABHAT
Registration Number of the Newspaper	UTTHIN/2023/86600
Language/Languages in which it is published	हिन्दी HINDI
Periodicity of its publication and the day/days/dates on which it is published	साप्ताहिक WEEKLY
Retail selling price of the newspaper	RS. 2/- PER COPY
Publisher's Name	SANDEEP DANGWAL
राष्ट्रीयता/Nationality	INDIAN
पता/Address	KARGI CHOWK, DURGA ENCLAVE, AZAD VIHAR, BANJARAWALA, DIST-DEHRADUN-248001,UTTARAKHAND
Printer's Name	SANDEEP DANGWAL
राष्ट्रीयता/Nationality	INDIAN
पता/Address	KARGI CHOWK, DURGA ENCLAVE, AZAD VIHAR, BANJARAWALA, DIST-DEHRADUN-248001,UTTARAKHAND
Editor's Name	SANDEEP DANGWAL
राष्ट्रीयता/Nationality	INDIAN
पता/Address	KARGI CHOWK, DURGA ENCLAVE, AZAD VIHAR, BANJARAWALA, DIST-DEHRADUN-248001,UTTARAKHAND
True and precise account at the premises where printing is conducted	INTER GRAPHICS OFFSET PRINTERS 64, NESHVILA ROAD, DIST-DEHRADUN, UTTARAKHAND
Place of publication	KARGI CHOWK, DURGA ENCLAVE, AZAD VIHAR, BANJARAWALA, DIST-DEHRADUN-248001,UTTARAKHAND

Cert Ser No. 78561

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक
REGISTRAR OF NEWSPAPERS FOR INDIA

ऐसे ही कई समाचार पत्र है जिसके संचालकों से सांठगांठ कर आर्थिक फायदा पहुंचाया गया है। अब आप सोचिए कि यह तो सिर्फ प्रिंट मीडिया का यह हाल है, तो इलेक्ट्रोनिक मीडिया, आउटडोर मीडिया का क्या हाल होगा? यह मामला सिर्फ विज्ञापन वितरण का नहीं है, यह सरकारी मशीनरी की नैतिक और प्रशासनिक गिरावट का प्रतीक है। जब अफसरशाही अपनी मर्जी के अनुसार नियमों को मोड़े, और सरकार खामोश रहे, तो साफ है कि नियम बेबस हो जाते है और खजाना लुटता ही रहता है।

आतंक पर जीतः एक पेचीदा सवाल

कश्मीर में कट्टर विचारधारा द्वारा ''ब्रेन वास्ड मुस्लिम यूथ'' यानी गुमराह किए गए मुस्लिम युवाओं द्वारा की जा रही हिंसक घटनाओं का शिकार रहा है।

राम पुनियानी

(लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन् 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मनी अवार्ड से सम्मानित हैं)

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला एक श्रृंखला की शुरुआत साबित हुआ, जिसके चलते भारत ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों पर जवाबी हमला किया। अब जबकि संघर्षविराम लागू हो चुका है, समय आ गया है कि इस सामाजिक कैंसर से निपटने के उपायों पर गंभीरता से विचार किया जाए।

आतंकवाद की चर्चा निश्चित ही 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में ट्विन टावर पर हुए हमलों के बाद वैश्विक मंच पर प्रमुखता से शुरू हुई, जिसमें 2,000 से अधिक लोगों की जान गई। उसी दौरान अमेरिकी मीडिया ने 'इस्लामी आतंकवाद' शब्द गढ़ा, जिसे विश्वभर में इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने के लिए अपनाया गया। जहाँ आतंकी गतिविधियों को चिन्हित करना संभव रहा है, वहीं "आतंकवाद" को परिभाषित करना अब तक आसान नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र की संबंधित एजेंसियाँ भी इसकी कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं गढ़ पाई हैं।

भारत की बात करें, तो वह लंबे समय से कश्मीर में कट्टर विचारधारा द्वारा ''ब्रेन वास्ड मुस्लिम यूथ'' यानी गुमराह किए गए मुस्लिम युवाओं द्वारा की जा रही हिंसक घटनाओं का शिकार रहा है। वर्ष 2008 में मुंबई में हुए 26/11 हमले में लगभग 200 लोग मारे गए थे। इसी हमले के दौरान महाराष्ट्र के तत्कालीन एंटी–टेरर स्क्वॉड प्रमुख हेमंत करकरे भी शहीद हो गए थे। इसी के

"लेखक महमूद ममदानी ने अपनी शोधपरक पुस्तक ''गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम'' में बताया है कि इन मदरसों का पाठ्यक्रम वॉशिंगटन में तैयार हुआ था। उसमें कम्युनिस्टों को 'काफिर' बताया गया, और काफिरों की हत्या को जन्नत पाने का ज़रिया कहा गया।"

समानांतर, 2006 में नांदेड़ और बाद में मालेगांव, अजमेर, मक्का मस्जिद (हैदराबाद) और समझौता एक्सप्रेस में भी आतंकी घटनाएँ हुईं। मालेगांव धमाके के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (छप्।) भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए मृत्युदंड की मांग कर रही है, जिनकी मोटरसाइकिल उस हमले में प्रयुक्त हुई थी। उनके साथ लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर भी मुकदमा चल रहा है। इसके अलावा स्वामी असीमानंद, मेजर (सेवानिवृत्त) उपाध्याय और अन्य कई नाम, जिनका संबंध हिंदुत्व राजनीति से है, सामने आए।

भारत को जब आतंकवाद के इन रूपों से जूझना पड़ रहा है, तब यह ज़रूरी हो जाता है कि हम वैश्विक आतंकवाद की जड़ों और भारत पर उसके प्रभावों पर गंभीर चिंतन करें। मौजूदा सुरक्षा उपायों की सीमाएं पुलवामा और अब पहलगाम हमलों के जरिए उजागर हो चुकी हैं। ऐसे में भारत को वैश्विक एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। भारत में सक्रिय आतंकवादी समूहों के ठिकाने पाकिस्तान में हैं। दुर्भाग्यवश, पाकिस्तान न सिर्फ इन आतंकी कार्रवाइयों का स्रोत है, बल्कि वह स्वयं भी इस भयावह समस्या का शिकार है।

कश्मीर में जो घटनाएं हो रही हैं, उनके पीछे वे आतंकी संगठन हैं जो अफगानिस्तान में सोवियत संघ के कब्जे को खत्म करने के अमेरिकी अभियान के बाद पैदा हुए। अमेरिका ने जब खुद अफगानिस्तान में सोवियत सेना से सीधे टकराने की स्थिति में नहीं था, तब उसने पाकिस्तान में मदरसों को बढ़ावा दिया जहाँ मुस्लिम युवाओं को कट्टर धार्मिक प्रशिक्षण दिया गया। इसी से तालिबान और उसके जैसे अन्य संगठनों का जन्म हुआ।

युगांडा के लेखक महमूद ममदानी ने अपनी शोधपरक पुस्तक "गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम" में बताया है कि इन मदरसों का पाठ्यक्रम वॉशिंगटन में तैयार हुआ था। उसमें कम्युनिस्टों को 'काफिर' बताया गया, और काफिरों की हत्या को जन्नत पाने का ज़रिया कहा गया। अमेरिका ने इन मदरसों पर 8,000 मिलियन डॉलर खर्च किए और उन्हें 7,000 टन हथियार कृ जिनमें स्टिंगर मिसाइलें भी थीं कृ प्रदान किए। इस तरह आतंकवाद, जो अमेरिकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का औजार था, धीरे-धीरे ऐसा दैत्य बन गया जिसने पश्चिम एशिया में तबाही मचाई। इसी दौरान सैमुअल हंटिंगटन की विवादास्पद थ्योरी "सभ्यताओं का संघर्ष (ब्सेी वि ब्पअपसप्रंजपवदे)" को भी खूब बढ़ावा मिला। सौभाग्यवश, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने इस विचारधारा की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई। इस समिति

भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि देश में आतंक की कोई घटना न हो। साथ ही यह भी समझना होगा कि यह आतंकवाद रूपी कैंसर, जो तेल पर नियंत्रण की साम्राज्यवादी लालसा से उपजा, तभी मिटेगा जब वैश्विक स्तर पर सहयोग होगा।

की रिपोर्ट "Alliance of Civilizations" के निष्कर्षों में बताया गया कि सभ्यताओं के मेल–जोल ने दुनिया को आगे बढ़ाया है, न कि उनके संघर्ष ने। परंतु अमेरिकी मीडिया द्वारा फैलाए गए 'इस्लामोफोबिया' ने इस रिपोर्ट को दबा दिया। कई जगहों पर कुरान की प्रतियाँ जलाई गईं।

आतंकवाद एक फ्रेंकनस्टाइन राक्षस बन गया कृ जो हर ओर तबाही मचाने लगा। पाकिस्तान भी इसका शिकार हुआ। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो की हत्या इसी किस्म के आतंकी हमले में हुई थी। ग्लोबल टेरर इंडेक्स (जीटीआइ) आतंक के प्रभाव को चार मानकों कृ घटनाएं, मौतें, घायल और बंधक कृ के आधार पर मापता है। इसमें पाकिस्तान दूसरे और भारत चौदहवें स्थान पर है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आतंकवाद ने पाकिस्तान को भारत की तुलना में कहीं अधिक नुकसान पहुँचाया है।

पाकिस्तान के मदरसों में जिस तरह प्रशिक्षण दिया गया, उसी के कारण वहाँ आतंक के शिकारों की संख्या अधिक है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि देश में आतंक की कोई घटना न हो। साथ ही यह भी समझना होगा कि यह आतंकवाद रूपी कैंसर, जो तेल पर नियंत्रण की साम्राज्यवादी लालसा से उपजा, तभी मिटेगा जब वैश्विक स्तर पर सहयोग होगा। हाल की खबरों के मुताबिक, "पाकिस्तान – जिसे अक्सर 'आतंक का वैश्विक निर्यातक' कहा जाता है – को 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।" यह घटना स्पष्ट रूप से जटिलताओं से भरी कहानी बयान करती है। पाकिस्तान की नीतियों को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जिनमें चीन की भूमिका भी उभरती जा रही है। पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराया जाना आवश्यक है, लेकिन उसे चर्चा की मेज़ पर लाकर इस समस्या का हल तलाशना भी उतना ही जरूरी है। भारत में आतंकी हमलों की रोकथाम के लिए कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूती देना तत्काल आवश्यक है।

वर्तमान में हम कई दुविधाओं से जूझ रहे हैं। कश्मीर की प्रगति अपनी संभावनाओं के बावजूद ठहरी हुई है। पाकिस्तान को विभिन्न स्तरों पर सक्रिय भूमिका निभानी होगी ताकि यह आतंकी हिंसा का कैंसर समाप्त हो सके। एक और स्तर पर इस्लाम और मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ने का दुष्प्रचार किया जा रहा है। यह सोच इस बात की गहराई से समझ नहीं रखती कि किस तरह अमेरिका की पश्चिम एशिया में तेल पर नियंत्रण की योजनाओं ने मौजूदा गतिरोध को जन्म दिया।

आतंकवाद की सतही प्रतिक्रिया से आगे बढ़कर हमें वैश्विक परिदृश्य की गहरी समझ की ज़रूरत है, जिसमें अमेरिकी नीतियों की विनाशकारी भूमिका को देखा और समझा जाना चाहिए, ताकि हम इसका प्रभावी इलाज ढूंढ सकें।

भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

देखने में आया है कि स्थानीय पुलिस द्वारा शिकायतों को गम्भीरता से न लेकर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। अपराधियों के साथ मीलीभगत पुलिस के छवि को खराब कर रही है।

हल्द्वानी। पुलिसकर्मियों की भ्रष्टाचार में लिप्तता और अपराधियों के साथ साठ गांठ को लेकर अब आईजी कुमाऊं ने सख्त निर्देश जारी किया है। जिसके लिए पुलिस विभाग ने अब टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। जिसके माध्यम से आम जनता अब पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की शिकायत टोल फ्री नंबर पर कर सकती है।

आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त एवं ड्रग्स फ्री बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके तहत कुमाऊं रेंज स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स आपरेशन का गठन किया गया है। इन टीमों का उद्देश्य नशे के कारोबार और पुलिस की मिलीभगत से हो रहे भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

साथ ही समाज में कानून–व्यवस्था और शांति–सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करना है। आईजी ने निर्देश जारी किया है की यदि एसओटीएफ की कार्रवाई के दौरान कोई पुलिसकर्मी किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए रेंज स्तर पर हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किया गया है। जिस पर केवल अवैध ड्रग्स के कारोबार एवं पुलिस की मिलीभगत से हो रहे भ्रष्टाचार एवं संगठित जघन्य अपराधों की ही सूचना दे सकते हैं।

आईजी कुमाऊं रेंज ने कहा ड्रग्स की बिक्री, पुलिस की मीलीभगत से हो रहे भ्रष्टाचार एवं गंभीर संगठित अपराधों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। देखने में आया है कि स्थानीय पुलिस द्वारा शिकायतों को गम्भीरता से न लेकर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। अपराधियों के साथ मीलीभगत पुलिस के छवि को खराब कर रही है।

आईजी कुमाऊं रेंज ने कठोर निर्देश जारी करते हुए कहा कि यदि जांच के दौरान यह सामने आता है कि किसी भी स्तर पर पुलिस की मिलीभगत पायी गयी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी पुलिसकर्मी को इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। अवैध ड्रग्स के कारोबार, संगठित अपराध, पुलिस की भ्रष्ट्राचार में संलिप्तता की सूचना कुमाऊं परिक्षेत्र के हेल्पलाइन नम्बर 9411110057 पर दी जा सकती है।सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा।

उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की अस्तित्व की जद्दोजहद

कुछ बेरोजगार युवा संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से जन आंदोलन खड़ा कर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगे हैं। लेकिन यह राह उतनी आसान नहीं जितनी दिखाई देती है

सहजाद अली
स्वतंत्र पत्रकार

उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका लंबे समय से अस्तित्व की तलाश में रही है। राज्य के गठन को दो दशक से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी क्षेत्रीय दल स्थायी रूप से सशक्त विपक्ष या सत्ता का विकल्प बनकर उभर नहीं पाया है।

अब एक बार फिर युवा नेता और संगठन इस शून्य को भरने की कोशिश में जुटे हैं। हाल के दिनों में कुछ युवाओं ने कई संगठनों का गठन कर 'भू–कानून' और 'मूल निवास' जैसे स्थानीय मुद्दों को आधार बनाकर राजनीति में नई शुरुआत करने की कोशिश की है।

वहीं, कुछ बेरोजगार युवा संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से जन आंदोलन खड़ा कर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगे हैं। लेकिन यह राह उतनी आसान नहीं जितनी दिखाई देती है। आज भी उत्तराखंड

> **चुनाव और समाज सेवा दो अलग धाराएं हैं, और जनता अपने मताधिकार का प्रयोग सोच-समझकर करती है ? इस पर भी संसय् है क्योंकि अक्सर देखा गया है की प्रलोभन देने वाला प्रत्याशी अथवा ताकत वर प्रत्याशी की ही विजय संभव हो पाती है।**

की राजनीति के राष्ट्रीय दलों के इर्द–गिर्द ही नजर आती है इसका एक मुख्य कारण है जनता के दिलों में क्षेत्रीय दलों के प्रति विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता की कमी यह एक बड़ा कारण है की उत्तराखंड को बने 25 वर्षों के उपरांत भी एक भी क्षेत्रीय नेता जिसमें उत्तराखंड की जनता विश्वास कर पाए और वह अपने दम पर क्षेत्रीय दल को सत्ता तक पहुंच पाए तब जाकर उत्तराखंड को वास्तव में एक क्षेत्रीय दल मिल पाएगा।

भाजपा जैसी सशक्त पार्टी से टक्कर आसान नहीं

उत्तराखंड की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जैसी संगठित और संसाधनों से भरपूर राष्ट्रीय पार्टी से मुकाबला करना क्षेत्रीय दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भाजपा किसी भी मुद्दे की हवा निकालने और उसे अपने पक्ष में मोड़ने की रणनीति में माहिर मानी जाती है। ऐसे में नए राजनीतिक प्रयासों के सामने वैचारिक स्पष्टता और दीर्घकालिक रणनीति की कमी साफ झलकती है।

युवाओं की महत्वाकांक्षा, लेकिन एकजुटता पर सवाल

नए क्षेत्रीय प्रयासों में सक्रिय युवाओं की नीयत और जोश में कमी नहीं है, लेकिन उनमें आपसी समन्वय और संगठनात्मक एकजुटता का अभाव है। अधिकांश प्रयास व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के इर्द–गिर्द घूमते नजर आते हैं। यह सवाल अब अहम हो गया है कि क्या ये युवा वास्तव में एकजुट होकर उत्तराखंड की जनता को कोई ठोस राजनीतिक विकल्प दे पाएंगे?

जन सेवा बनाम राजनीति

यह भी एक सच्चाई है कि जब तक कोई संगठन गैर–राजनीतिक रूप से समाज सेवा करता है, तब तक जनता का समर्थन उसे सहज रूप से मिलता है। लेकिन जैसे ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा सामने आती है, वही जनता संशय में पड़ जाती है। चुनाव और समाज सेवा दो अलग धाराएं हैं, और जनता अपने मताधिकार का प्रयोग सोच–समझकर करती है ? इस पर भी संसय् है क्योंकि अक्सर देखा गया है की प्रलोभन देने वाला प्रत्याशी अथवा ताकत वर प्रत्याशी की ही विजय संभव हो पाती है।

निष्कर्ष

उत्तराखंड की राजनीति में नया अध्याय लिखने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन यह तभी सफल होगी जब यह प्रयास जन भावनाओं के अनुरूप, संगठित और दीर्घकालिक दृष्टि के साथ किए जाएं। केवल मुद्दों का नारा देकर जनता को जोड़ा नहीं जा सकताकृज़रूरत है सेवा, ईमानदारी और विश्वास की राजनीति की, और उसमें भी केवल सत्ता तक पहुंचाने की विश्वसनीयता ही जीत का मुख्य मंत्र है।

सवालों के घेरे में उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना

मुख्य संवाददाता

- ट्रेनिंग के 3 साल बाद भी धरातल पर नहीं उतर पाई योजना
- महिलाओं की आजीविका सुधारने के लिए योजना के तहत 2022 में दी गई थी ट्रेनिंग
- अब तक लाभार्थियों को नहीं मिल पाया 50-50 हजार अनुदान, दर-दर भटकने को मजबूर महिलाएं

सीएम धामी सरकार की महत्वकांक्षी उत्तराखंड मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना सवालों के घेरे में है, योजना में गड़बड़झाले का अंदेशा जताया जा रहा है, महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए शुरू की गई इस योजना में ट्रेनिंग देने के कई साल बाद भी लाभार्थियों को 50 हजार रुपए अनुदान अब तक नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि गत तीन वर्षों से पात्र महिलाएं अनुदान के लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग व संबंधित एनजीओ के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। जबकि, विभाग का कहना है कि पैसा एनजीओ को दे दिया गया है, बाकायदा, इसको लेकर रिमांडर तक भेजा जा चुका है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अनुदान का लाखों रुपए गया कहा?

3 साल बाद भी नहीं मिला 300 महिलाओं को अनुदान :

दरअसल, मामला दून जिले के रायपुर ब्लाक का है, जहां लाभार्थी महिलाओं को मुख्यमंत्री सतत् आजीविका योजना के तहत 50 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जाना है। दून शहर से लगे रायपुर ब्लॉक के बजेत,

कई महिलाओं ने अनुदान के चक्कर में गाय नहीं खरीदी, उनका बहुत नुकसान हो रहा है। बैजत मालदेवता की आरती खन्ना, अस्थल की गीतिका सकलानी, शेरकी की रवीना पंवार व विनेश आदि का भी कहना है कि सरकार गंभीरता से योजनाओं का संचालन करे, केवल नाम के लिए योजनाएं चलाकर महिलाओं का शोषण न किया जाए।

सिरकी, रामनगर डांडा, मीडावाला, दुधियावाला व डांडी क्षेत्रों में करीब 300 महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी गई. जिनका अनुदान करीब 1.50 करोड़ रुपए बैठता है, यह तो एक ब्लाक के कुछ गावों का मामला है। पूरे जिले व राज्य में यह कई सौ करोड़ की योजना है। ख़ास बात यह है कि योजना के तहत डेयरी व मधुमक्खी पालन कराया जाना था, इसके लिए सरकार की ओर से चयनित एनजीओ देवभूमि फाउंडेशन को काम सौंपा गया था, इसके तहत एनजीओ ने वर्ष 2022 में चयनित महिला पात्रों को ट्रेनिंग भी दी, इसके बाद मालदेवता क्षेत्र में डेयरी पालन के लिए 100 महिलाओं और थानों क्षेत्र की 200 महिलाओं से मधुमक्खी पालन कराया जाना था। लेकिन, ट्रेनिंग के 3 साल बाद भी योजना धरातल पर नहीं उतर पाई।

25–25 महिलाओं का बनाया गया था कलस्तर :

योजना के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए एनजीओ की ओर से 25–25 महिलाओं का ग्रुप बनाकर 2022 में एक सप्ताह से लेकर एक महीने तक की ट्रेनिंग दी गई। लेकिन, अभी तक गाय खरीदने के लिए धनराशि नहीं मिल पाई। ऐसे में अब कई लाभार्थी आरोप लगा रही हैं कि या तो विभागीय अधिकारी झूठ बोल रहे हैं या फिर एनजीओ गोलमाल कर रहा है। बावजूद इसके अभी भी लाभार्थी धनराशि मिलने को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं।

अब मांगी जा रही स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट

बताया जा रहा है कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना के तहत राज्यभर में 97 एनजीओ का चयन किया गया था। ये भी बताया जा रहा है कि इस बारे में गत 22 अप्रैल 2025 को राज्य परियोजना अधिकारी मोहित चौधरी की ओर से 9 एनजीओ को पत्र जारी किया गया। जिसमें लाभार्थियों को दिए जाने वाले अनुदान के बावत स्थलीय जांच निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है।

इन 9 एनजीओ को भेजा रिमाइंडर :

- पौष्टिक ग्रामोद्योग संस्था, प्रेमनगर, देहरादून
- देवभूमि फाउंडेशन, सुभाष रोड, देहरादून
- लोकप्रिय सेवा समिति, हरिद्वार
- पर्यावरण एवं जन कल्याण समिति, यूएसनगर
- इम्पार्ट, ऊधमसिंहनगर
- इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, यूएसनगर
- महिला प्रेणा एवं उत्थान समिति, अल्मोड़ा
- पर्वतीय महिला कल्याण समिति, पिथौरागढ़
- ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति, टिहरी गढ़वाल

ट्रेनिंग हुई, कुछ नहीं मिला :

रायपुर के रामनगर डांडा के प्रधान रविंद्र सिंह ने बताया कि एनजीओ की ओर से क्षेत्र की महिलाओं को मार्च 2022 में ट्रेनिंग दी गई, लेकिन आज तक न तो गाय दी गई और न हीं मधुमक्खी पालन ही शुरू कराया गया है। पैसा उपलब्ध कराया जाता, तो लाभार्थी खुद ही पशु खरीद लेती, यदि योजना का तीन–तीन चार–चार साल बाद भी लाभ न मिले, तो उसका औचित्य क्या है? कई महिलाओं ने अनुदान के चक्कर में गाय नहीं खरीदी, उनका बहुत नुकसान हो रहा है। बैजत मालदेवता की आरती खन्ना, अस्थल की गीतिका सकलानी, शेरकी की रवीना पंवार व विनेश आदि का भी कहना है कि सरकार गंभीरता से योजनाओं का संचालन करे, केवल नाम के लिए योजनाएं चलाकर महिलाओं का शोषण न किया जाए।

दूसरे जिलों में भी गड़बड़ी कि आशंका :

जानकारों की मानें तो ये असलीयत तो केवल दून के रायपुर ब्लाक की है पूरे राज्यभर में ऐसी संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ये योजना सवालों के घेरे में आ रही है। जानकार कहते हैं कि जब सरकार की ऐसी महत्वपूर्ण योजना का तीन–तीन, चार–चार साल में भी लाभ नहीं मिल पाएगा तो महिलाओं की आजीविका कैसे सुधर पाएगी।

योजना की पात्रता व लाभ :

- लाभार्थी निराश्रित, विधवा व निर्बल वर्ग से होनी चाहिये
- महिला की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

> ''मुख्यमंत्री सतत् महिला आजीविका योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। अनुदान का पैसा भी एनजीओ को जारी किया गया है, जिन एनजीओ ने परिसपित्तियों का लाभार्थियों को वितरण नहीं किया है, उन्हें रिमाइंडर भेजे गए हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द अनुदान का वितरण किया जाएगा।''
>
> -मोहित चौधरी,
>
> स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग।

- उत्तराखंड राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए।
- लाभार्थी किसी अन्य योजना से सामान व्यवसाय से लाभान्वित नहीं होनी चाहिए.
- पात्र महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- चयनित महिलाओं को ट्रेनिंग अवधि के दौरान 1000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- ट्रेनिंग पूरी होने के बाद लाभार्थियों को 50 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

सचिवालय व विधानसभा से चल रहा षड़यंत्र :

सूत्रों की माने तो इस योजना को सचिवालय व विधानसभा में बैठे कुछ अफसर विभाग के साथ मिलकर पलीता लगा रहे हैं, मोटी कमीशन की डील का तानाबाना बुना जा रहा है, यही वजह है कि योजना धरातल पर नहीं उत्तर पा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि कई अधिकार्यों कि एनजीओ में भागीदारी है।

अनुदान के बदले गाय व मधुमक्खी खरीद

लाभर्थियों को अनुदान के बदले विभाग की ओर से गाय व मधुमक्खी खरीदने की बात भी सामने आ रही है। किस नश्ल की गाय दी जाएगी इसका भी लाभार्थियों को ट्रेनिंग के दौरान कोई जानकारी नहीं दी गई है। कुल मिलाकर पूरी योजना में पूरी तरह झोल ही झोल नजर आए रहा है। यह भी बताया जा रहा है की योजना के क्रियान्वयन में गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है. इससे योजना की पारदर्शिता भी सवालों के घेरे में है।

निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (UWCDS)

पत्रांक : 71 / 60 /UWCDS/2025-26 दिनांक : 22अप्रैल 2025

सेवा में

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर,
पिथौरागढ़, नैनीताल एवं टिहरी गढ़वाल।

विषय– मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रशिक्षण प्रस्तावों के अंतर्गत सम्मिलित लाभार्थियों को परिसम्पत्ति वितरण के सापेक्ष स्थलीय निरीक्षण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक पूर्व में प्रेषित शासनादेश संख्या 348/...2022, दिनांक 02 अगस्त 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुपालन में "मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना" के अंतर्गत आपके जनपद में कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किये गये कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः कार्यालय पत्र संख्या–204/60/UWCDS/2022-23, दिनांक 02 अगस्त 2022 एवं कार्यालय पत्र संख्या–203/60/UWCDS/2022-23, दिनांक 02 अगस्त 2022 प्रेषित किये गये हैं।

- [illegible]

क्र०सं०	संस्था का नाम	पत्र संख्या एवं दिनांक
1	पौष्टिक ग्रामोद्योग संस्था, प्रेमनगर, देहरादून।	132/113/UWCDS/2024-25, दिनांक–05.06.2024
2	लोकप्रिय सेवा समिति, हरिद्वार।	133/113/UWCDS/2024-25, दिनांक–05.06.2024
3	देवभूमि फाउंडेशन, सुभाष रोड, देहरादून।	745/113/UWCDS/2024-25, दिनांक–23.10.2024
4	पर्यावरण एवं जन कल्याण समिति, ऊधमसिंहनगर।	136/113/UWCDS/2024-25, दिनांक–05.06.2024
5	इम्पार्ट, ऊधमसिंहनगर।	135/113/UWCDS/2024-25, दिनांक–05.06.2024
6	इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ऊधमसिंहनगर	134/113/UWCDS/2024-25, दिनांक–05.06.2024
7	महिला प्रेरणा एवं उत्थान समिति, अल्मोड़ा।	131/113/UWCDS/2024-25, दिनांक–05.06.2024
8	पर्वतीय महिला कल्याण समिति, पिथौरागढ़	137/113/UWCDS/2024-25, दिनांक–05.06.2024
9	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति, टिहरी गढ़वाल	138/113/UWCDS/2024-25, दिनांक–05.06.2024

[illegible]

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(मोहित चौधरी)
राज्य परियोजना अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. निदेशक/उपाध्यक्ष, ... की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सम्बन्धित संस्थाऐं।

राज्य परियोजना अधिकारी

uwcds2008@gmail.com, spmu.wecd.uk@gmail.com www.wecd.uk.gov.in

लाभर्थियों को परिसम्पत्ति वितरण के सापेक्ष स्थलीय निरीक्षण को लेकर 22 अप्रैल 2025 को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड से जारी लेटर।

भारतीय सेना को मिले 419 जांबाज अफसर

> श्रीलंका के सेना प्रमुख खुद 1990 में भारतीय सैन्य अकादमी के 87वें कोर्स से कमीशन प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में रिव्यूइंग ऑफिसर बनकर आने पर उनकी पुरानी यादें भी ताजा हुईं।

तन, मन और जीवन देश को समर्पित करने की शपथ के साथ भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) से शनिवार को 419 जेंटलमैन कैडेट भारतीय सेना का हिस्सा बने। इसके साथ ही नौ मित्र देशों के 32 कैडेट भी पासआउट हुए। इस बार आईएमए की पासिंग आउट परेड की शुरुआत सुबह 6.38 बजे मार्कर्स कॉल के साथ हुई।

श्रीलंका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बीकेजीएम लासंथा रोड्रिगो ने रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में परेड की सलामी ली। 6.42 बजे एडवांस कॉल के साथ कैडेट्स कदमताल करते हुए चैटवुड बिल्डिंग के परेड मैदान में पहुंचे। खास बात यह है कि श्रीलंका के सेना प्रमुख खुद 1990 में भारतीय सैन्य अकादमी के 87वें कोर्स से कमीशन प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में रिव्यूइंग ऑफिसर बनकर आने पर उनकी पुरानी यादें भी ताजा हुईं। आईएमए की पासिंग आउट परेड के दौरान बेस्ट कैडेट और कंपनी को मिलने वाले सम्मान का सबको इंतजार रहता है। इस बार भी जब इसकी घोषणा की गई तो आईएमए देहरादून का परेड समारोह स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस दौरान स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और गोल्ड मेडलिस्ट के नाम घोषित किए गए. जिन जेंटलमैन कैडेट को अवॉर्ड मिले।

उनके नाम इस प्रकार हैं–

- स्वॉर्ड ऑफ ऑनर व सिल्वर मेडल – अनिल नेहरा
- गोल्ड मेडल – रोनित रंजन
- ब्रॉन्ज मेडल – अनुराग वर्मा
- टीईएस सिल्वर – कपिल
- टीजी सिल्वर – आकाश भदौरिया
- चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर – केरन कंपनी

चारधाम श्रद्धालुओं के लिए मौत के उड़नखटोले बन रहे है हेलीकॉप्टर!

डॉ श्रीगोपाल नारसन
एडवोकेट

उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में 15 जून की तड़के एक हेलीकॉप्टर फिर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे,जिनमे एक 2 वर्ष का बच्चा भी शामिल था।इन सभी की मौके पर ही मौत हो गई है। खराब मौसम के कारण यह हादसा गौरीकुंड और त्रिजुगीनारायण के मध्य गौरीकुंड के जंगलों के ऊपर हुआ है। सुबह लगभग साढ़े पांच बजे हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी और अचानक यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

खराब मौसम के कारण दृश्यता कम होने की वजह से इस हादसे का होना माना जा रहा है ।तत्काल राहत और बचाव दल भेजे गए हैं ।रास्ते में मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर द्वारा अन्य स्थान पर हार्ड लैंडिंग करने से हेलीकाप्टर क्षतिग्रस्त हुआ है। इसी जून के पहले सप्ताह में भी एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण उसको बीच सड़क पर इमरजेंसी लैंड कराना पड़ा था। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम यात्रियों को लेकर जा रहा था। हेलीकॉप्टर में पांच यात्री, पायलट और सह–पायलट सवार थे। इस दौरान सह–पायलट को मामूली चोटें आई थीं। यह हेलिकॉप्टर बड़ासु हेलीपैड से उड़ान भरने के तुरंत बाद आपातकालीन लैंडिंग करने पर मजबूर हुआ था। इस साल मई में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से छह सप्ताह में यह पांचवां हेलिकॉप्टर हादसा है। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सेवा से केदारनाथ धाम में यात्रा करने वालों की संख्या हर साल लगभग 90 हजार से 1 लाख श्रद्धालुओं की है।

प्रतिदिन लगभग 1500 श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन मौजूदा समय में हेलीकॉप्टर की उड़ान कम होने और कुछ एजेंसियों को सस्पेंड किए जाने के बाद टिकट रद्द भी किए जा रहे हैं। टिकट रद्द के बाद श्रद्धालुओं को उनके पैसे वापस करने होंगे। अपनी व्यवस्थाओं से चारधाम यात्रा पर

आ रहे श्रद्धालुओं में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को लेकर मायूसी है,वही उत्तराखंड सरकार ने 15 जून के इस हादसे के बाद उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव इन दुर्घटनाओं को लेकर बैठक भी कर रहे है। उत्तराखंड में बीते 7 जून के दिन 253 हेलीकॉप्टर शटल सेवा चली, जिसमें 1404 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ तक का सफर तय किया। 8 जून को 208 हेलीकॉप्टर शटल सेवा चली, जिसमें 1161 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ तक का सफर तय किया। वहीं अगर 9 जून को हेलीकॉप्टर 186 शटल सेवा चली जिसमें 1043 भक्तों ने बैठकर केदारनाथ के दर्शन किए। जबकि 10 जून मात्र 143 उड़ान केदारनाथ के लिए भरी गई।जिसमें 741 श्रद्धालुओं ने सफर किया। वही 11 जून व 12 जून को केदारनाथ धाम में मौसम खराब होने के कारण कुछ ही हेलीकॉप्टर सुबह उड़ पाए। वास्तविकता यह है कि हेलीकॉप्टर उड़ान के दौरान अब इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा कि कहीं अत्यधिक वजन ढोने, कम निचाई पर हेलीकॉप्टर की उड़ान और एक के बाद एक उड़ान भरने के साथ–साथ दूसरी कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है। हेलीकॉप्टर के इंजन को आराम मिल सके, साथ ही पायलट को भी बीच में अच्छा खासा ब्रेक मिले, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है।

उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान पिछले दिनों हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के बाद डीजीसीए ने हेली संचालन से संबंधित कुछ पाबंदी लगाई है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ रही है। चारधाम यात्रा में खासकर केदारनाथ धाम में हेली सर्विस के माध्यम से लगातार श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर का सबसे ज्यादा संचालन केदारनाथ धाम के लिए ही हो रहा है। लेकिन हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में इजाफा होने से सरकार और श्रद्धालु दोनों चिंतित है। बीती 8 मई 2025 को उत्तरकाशी के गंगनानी के पास हेलीकॉप्टप क्रैश में 6 लोगों की मौत हुई इस साल की इस यात्रा के दौरान 30 दिनों के भीतर चार हेलीकॉप्टर हादसों में 13 लोगों की जान और करोड़ों रुपए के हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गए है।. पर्यटन नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने भी इस बात की पुष्टि की है कि डीजीसीए हेली सर्विस पर रिव्यू कर रहा है, इस रिव्यू के तहत कई तरह की रोक व पाबंदियां भी चारधाम यात्रा पर चल रही है। केदारनाथ के लिए उड़ने वाली हेलीकॉप्टर सेवा को रेग्युलेट भी किया गया है। हादसे से पहले एक घंटे में यात्रियों को लेकर हेलीकॉप्टर 25 से 30 बार उड़ा करते थे, यह उड़ान तीन अलग–अलग जगह से होती थी।लेकिन अब अब मात्र 1 घंटे में 9 से 10 उड़ान भरी जा रही है। डीजीसीए ने यह भी साफ किया है कि जिस हेलीकॉप्टर में छह सवारियां यात्रा कर रही थी, उन हेलीकॉप्टर में अब सिर्फ 3 से 4 सवारियां ही यात्रा कर पाएंगी।इसके साथ ही वजन और मौसम का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही मौसम जरा भी खराब होता है तो कोई भी हेली एजेंसी हेली के संचालन को लेकर दबाव नहीं बनाएगी। डीजीसीए हर एक उड़ान और एविएशन की सारी एक्टिविटी पर नजर रख रहा है।ताकि इस रिव्यू को बेहतर तरीके से किया जा सके और आगे का फैसला लिया जा सके।लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद खराब मौसम में हेलीकॉप्टर ने 15 जून की सुबह उड़ान भरी जो दुर्घटना का कारण बन गई और 7 जिंदगियां खत्म हो गई।

हेलीकॉप्टर का सबसे ज्यादा संचालन केदारनाथ धाम के लिए ही हो रहा है। लेकिन हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में इजाफा होने से सरकार और श्रद्धालु दोनों चिंतित है।

सामाजिक न्याय को पुनर्परिभाषित करेगी जाति जनगणना

जाति जनगणना का लक्ष्य विभिन्न जाति समूहों के सामाजिक-आर्थिक वितरण की सटीक और विस्तृत समझ हासिल करना है, जिससे सरकार को लक्षित नीतियां बनाने में मदद मिले जो सबसे वंचित लोगों का उत्थान करें।

इंशा वारसी
जामिया मिल्लिया इस्लामिया।

एक ऐतिहासिक कदम के तहत, भारत सरकार ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना को शामिल करने को मंजूरी दे दी है, जो स्वतंत्रता के बाद बंद कर दी गई एक प्रथा की महत्वपूर्ण वापसी को दर्शाता है। समाज सुधारकों, विद्वानों और नीति निर्माताओं की और से लंबे समय से मांग किए जा रहे इस निर्णय को देश में समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय की जड़ों को गहरा करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में सराहा जा रहा है। ऐसे समय में जब समावेशी विकास राष्ट्रीय चर्चा का केन्द्र बन गया है, जाति जनगणना से डेटा–आधारित नीति–निर्माण के युग की शुरुआत होने का वादा किया गया है, जो वास्तव में भारत के जटिल सामाजिक ताने–बाने को प्रतिबिंबित करता है।

जाति जनगणना राष्ट्रीय गणना अभ्यास के हिस्से के रूप में व्यक्ति की जातिगत पहचान पर डेटा का व्यवस्थित संग्रह है। इसका लक्ष्य विभिन्न जाति समूहों के सामाजिक–आर्थिक वितरण की सटीक और विस्तृत समझ हासिल करना है, जिससे सरकार को लक्षित नीतियां बनाने में मदद मिले जो सबसे वंचित लोगों का उत्थान करें। ऐतिहासिक रूप से, 1931 तक जाति संबंधी आंकड़े नियमित रूप से औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा एकत्रित किए जाते थे। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद, जाति गणना अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) तक ही सीमित थी, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्य को

जाति जनगणना को राजनीतिक साधन के बजाय विकास के साधन के रूप में मानना इसे समावेशी विकास के उत्प्रेरक में बदल सकता है। निगरानी तंत्र, कानूनी सुरक्षा और नीति मूल्यांकन को संस्थागत बनाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डेटा केवल सामाजिक न्याय के लिए काम करे, न कि चुनावी अंकगणित के लिए।

व्यापक राष्ट्रीय डेटासेट से बाहर रखा गया था। इस अंतर को पाटने का अंतिम प्रयास, 2011 की सामाजिक–आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) विसंगतियों और आंकड़ों की अविश्वसनीयता से प्रभावित रही, जिसका मुख्य कारण मानकीकृत जाति सूची का अभाव था।

भारत ने ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धताएँ की हैं, लेकिन जातिगत जनसांख्यिकी पर विश्वसनीय डेटा के बिना, सकारात्मक कार्रवाई की नीतियाँ अक्सर अंधेरे में काम करती हैं। वर्तमान में, ओबीसी के लिए आरक्षण नीतियाँ 1931 की जनगणना के अनुमानों पर आधारित हैं, जिसमें ओबीसी की आबादी 52 प्रतिशत आंकी गई है। हालांकि, बिहार के 2023 जाति सर्वेक्षण जैसे राज्य स्तरीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग राज्य की आबादी का 63 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। ऐसे निष्कर्ष कल्याणकारी लाभों और आरक्षणों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक अद्यतन राष्ट्रीय जाति डेटाबेस की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। आगामी जाति जनगणना का उद्देश्य अधिक संरचित और सत्यापन योग्य डेटा संग्रह प्रक्रिया के माध्यम से इन चुनौतियों को दूर करना है। पहचान सत्यापन के लिए आधार को एकीकृत करना, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना और छंटाई और वर्गीकरण के लिए एआई उपकरणों का लाभ उठाना अभ्यास की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित उपायों में से हैं।

जाति जनगणना सिर्फ़ एक संख्यात्मक अभ्यास से कहीं ज़्यादा है, इसका सामाजिक समानता और शासन के लिए गहरा प्रभाव है। विभिन्न समुदायों के वास्तविक जनसांख्यिकीय प्रसार को उजागर करके, यह पिछड़े समूहों के उप–वर्गीकरण की अनुमति देता है, इससे यह सुनिश्चित होता है कि आरक्षण का लाभ सबसे वंचित लोगों तक पहुंचे, न कि प्रमुख उप–समूहों के एकाधिकार में रहे। इसी तरह, सटीक जातिगत डेटा राजनीतिक प्रतिनिधित्व को संतुलित करने, ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों को आवाज़ देकर लोकतंत्र को मज़बूत करने में सहायक हो सकता है। इस कदम के महत्व को भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 340 राज्य को पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उनके कल्याण को बढ़ावा देने का अधिकार देता है, और जाति जनगणना इस जनादेश के अनुरूप है। यह अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के लक्ष्यों को प्रतिध्वनित करता है, जो भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं और अवसर की समानता की गारंटी देते हैं। हालांकि, विश्वसनीय डेटा के बिना, इन संवैधानिक आदर्शों को प्रतीकात्मक इशारों में कमजोर किए जाने का खतरा है।

हालांकि इस बात पर चिंता जताई गई है कि जाति जनगणना जातिगत पहचान को मजबूत कर सकती है या राजनीतिक शोषण का साधन बन सकती है, लेकिन पारदर्शी, नैतिक और विवेकपूर्ण क्रियान्वयन के माध्यम से ऐसे जोखिमों को कम किया जा सकता है। जाति जनगणना को राजनीतिक साधन के बजाय विकास के साधन के रूप में मानना इसे समावेशी विकास के उत्प्रेरक में बदल सकता है। निगरानी तंत्र, कानूनी सुरक्षा और नीति मूल्यांकन को संस्थागत बनाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डेटा केवल सामाजिक न्याय के लिए काम करे, न कि चुनावी अंकगणित के लिए। इसके अलावा, आय स्तर, शिक्षा और बहुआयामी गरीबी जैसे सामाजिक–आर्थिक संकेतकों के साथ जाति के आंकड़ों को पूरक बनाने से समग्र कल्याण कार्यक्रमों को तैयार करने में मदद मिल सकती है। इससे क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करने और स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में अंतर को पाटने के लिए अनुकूलित हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है, जहां जाति–आधारित असमानताएं बनी रहती हैं। निष्कर्ष रूप में, जाति जनगणना कराने का निर्णय भारत की अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की ओर यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह सकारात्मक कार्रवाई को फिर से मापने, कल्याण लक्ष्यीकरण को परिष्कृत करने और हमारे संविधान में निहित समानता के प्रति प्रतिबद्धता को पुनर्जीवित करने का अवसर है। इस डेटा–संचालित दृष्टिकोण को ईमानदारी और सावधानी से अपनाकर, भारत संरचनात्मक असमानताओं को खत्म करने और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण की दिशा में निर्णायक कदम उठा सकता है, जहां प्रत्येक नागरिक की प्रगति में समान हिस्सेदारी हो।

सुभाष चंद्र बोस से रूपाणी तक

विमान हादसों में कई राजनेताओं को खो चुका है देश

देश के कई नेता विमान हादसों में समय से पहले इस दुनिया को अलविदा कहते हुए अनंत यात्रा पर चले गए। इनमें अब विजय रूपाणी का नाम भी जुड़ गया है।

पवन वर्मा
विनायक फीचर्स

गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है। ऐसा भीषण हादसा और उसके वीडियो देखकर लोग कराह उठे। इस विमान हादसे में 268 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रुपाणी भी इस हादसे में काल के गाल में समां गए। यह पहला मौका नहीं है जब देश ने विमान हादसे में किसी नेता को खोया हो, इससे पहले भी देश के कई नेता विमान हादसों में समय से पहले इस दुनिया को अलविदा कहते हुए अनंत यात्रा पर चले गए। इनमें अब विजय रूपाणी का नाम भी जुड़ गया है।

रुपाणी पहली बार 2016 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, इसके बाद चुनाव में फिर से भाजपा की सरकार बनी और वे फिर से मुख्यमंत्री बनाए गए। विजय रुपाणी 2021 तक मुख्यमंत्री रहे थे। करीब 60 साल पहले

✦ संजय गांधी भी ऐसे ही हादसे में मारे गए थे। संजय गांधी के विमान का हादसा दिल्ली के पास हुआ था।

✦ आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की मौत भी हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 2 सितंबर 2009 को हो गई थी।

✦ 30 अप्रैल 2011 को अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू सहित पांच लोगों की मौत हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई थी।

✦ बोस की मृत्यु को लेकर कई विवाद और अनिश्चितताएं हैं,माना जाता है कि इस दुर्घटना में नेताजी सुरक्षित बच निकले थे लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इस दुर्घटना में ही उनका निधन हो गया था।

भी गुजरात ने विमान हादसे में अपना एक वरिष्ठ नेता खो दिया था। वर्ष 1965 में हुई एक विमान दुर्घटना में गुजरात राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता का निधन हो गया था। बलवंत राय मेहता के असमय गुजर जाने के करीब आठ साल बाद फिर एक नेता को विमान दुर्घटना लील गई। दिल्ली के पास हुए हादसे में एस. मोहन कुमार मंगलम की मौत हो गई थी। यह हादसा 31 मई 1973 में हुआ था। मंगलम पूर्व सांसद और मंत्री थे।

संजय गांधी की हवाई हादसे में मारे गए थे

संजय गांधी भी ऐसे ही हादसे में मारे गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र और कांग्रेस के कद्दावर नेता संजय गांधी के विमान का हादसा दिल्ली के पास हुआ था। यह घटना 23 जून 1980 की है। संजय गांधी ग्लाइडर में करतब दिखाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और उनकी मौत हो गई ।

पंजाब के पूर्व राज्यपाल सुरेंद्र नाथ की भी मौत विमान हादसे में हुई थी। हादसा इतना दर्दनाक था कि उनके परिवार के 9 लोग भी इसमें असमय मौत के मुंह में चले गए थे। यह हादसा हिमाचल में 9 जुलाई 1994 को हुआ था।

इसके बाद ऐसे ही एक हादसे में पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एनवीएन सोमू की मौत हुई थी। यह घटना 14 नवंबर 1997 की है। यह हादसा तवांग के पास हुआ था। मई 2001 में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री डेरा नाटुंग की भी विमान दुर्घटना में मौत हो गयी थी।

माधवराव सिंधिया की भी प्लेन क्रेश में हुई थी मौत

इसके बाद जिस नेता की विमान हादसे में जान गई, उसने मध्यप्रदेश को झकझोर दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया का मध्य प्रदेश में उस वक्त खासा प्रभाव था, उनका निधन भी हवाई दुर्घटना में हुआ था। सिंधिया के साथ यह हादसा 30 सितंबर 2001 को हुआ था। कानपुर के पास उनका प्लेन क्रेश हो गया था, इसमें उनके साथ सात और लोगों की भी मौत हुई थी।

बालयोगी का भी ऐसे ही हुआ निधन

लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी को भी हम हैलीकॉप्टर क्रैश में खो चुके हैं। उनका हादसा तीन मार्च 2002 को हुआ था। मेघालय के पूर्व मंत्री साइप्रियन संगमा का निधन 22 सितंबर 2004 को हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ था। हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री और उद्योगपति सुरेंद्र सिंह और ओपी जिंदल का भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। यह घटना मार्च 2005 की थी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की मौत भी हेलीकॉप्टर क्रैश होने से दो सितंबर 2009 को हो गई थी। वहीं तीस अप्रैल 2011 को अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू सहित पांच लोगों की मौत हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई थी।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत

नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू, जापानी फॉमोर्सा (अब ताइपेई, ताइवान) में एक विमान दुर्घटना में हुआ था। वह जापानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदेई के अतिथि के रूप में बमवर्षक विमान में यात्रा कर रहे थे जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि, बोस की मृत्यु को लेकर कई विवाद और अनिश्चितताएं हैं,माना जाता है कि इस दुर्घटना में नेताजी सुरक्षित बच निकले थे लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इस दुर्घटना में ही उनका निधन हो गया था।

मानसून सत्र के बाद सूना पड़ा भराड़ीसैंण विधानसभा भवन

यह क्षेत्र स्थानीय तीज-त्यौहार, रीति-रिवाज, व्यंजन-खानपान, हस्तशिल्प की दृष्टि से समृद्व है जो वास्तविक पहाड़ी राज्य की परिकल्पना को साकार करता है।

पुष्कर सिंह नेगी
लेखक

जानिए 24 साल बाद गैरसैंण के विकास के दो पहलू

गैरसैंण देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। गैरसैंण को प्राचीन कथाओं व ग्रंथों में केदारखण्ड के नाम से जाना जाता है, प्राचीन कथाओं के अनुसार इस जगह का पहला शासक यक्षराज कुबेर था। गैरसैंण का स्थानीय बोली में अर्थ गैर(गहराई)+ सैण(समतल भाग) अर्थात "गहराई में स्थित समतल स्थान" होता है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के मध्य में स्थित यह शहर उत्तराखंड के पामीर "दूधातोली" बुग्याल के तलहटी में स्थित है।

दूधातोली प्रसिद्व नदी रामगंगा का उद्गमस्थल भी है जो पूरब की तरफ़ बहती हुई कुमाऊं क्षेत्र से मैदानों में प्रवेश करती है। भौगोलिक रूप से राज्य के मध्य में स्थित गैरसैंण अपने प्राकृतिक सौंदर्य, आकर्षक रूप से मोहित करने वाले उच्च हिमालियी श्रृंखलाओं, हरे भरे बुग्यालों, ट्रेकिंग, हाइकिंग, धार्मिक, साहसिक पर्यटन के लिए जाना जाता है, यहां की गढ़वाली–कुमाऊँनी मिश्रित बोली, मिश्रित सभ्यता व मिली–जुली गढ़वाली–कुमाऊँनी संस्कृति का अनूठा संगम है। यह क्षेत्र स्थानीय तीज–त्यौहार, रीति–रिवाज,व्यंजन–खानपान, हस्तशिल्प की दृष्टि से समृद्व है जो वास्तविक पहाड़ी राज्य की परिकल्पना को साकार करता है। पहाड़ के विकास, बुनियादी ढांचें में वृद्धि, रोजगार के अवसर तथा प्रशासनिक व भौगोलिक केंद्र बिंदु होने से उत्तराखंड आंदोलन प्रारम्भ के समय से इसे उत्तरखण्ड राज्य की राजधानी बनने के लिए यहां के आंदोलित हर वर्ग ने तत्समय में अपने

गैरसैंण बाजार से 17 किमी दूर गंव गैरसैण-कर्णप्रयाग रोड पर दीवालीखाल सारकोट गांव के ऊपर बांज, देवदार पेड़ों से घिरे चोंटी पर स्थित सुंदर स्थान पर पर स्थित भराड़ीसैण में उत्तराखंड का नया विधानसभा भवन बनाने में गति मिली।

आंदोलन, विचारों से,लेख व मंचों से गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाये जाने के लिए प्रयास किया।

9 नवम्बर,2000 को उत्तराखंड देश का नए राज्य गठन के बाद भी राज्य के लोगों द्वारा विभिन्न मंचों से गैरसैंण को राज्य की राजधानी बनाये जाने की मांग की जाती रही। वर्ष 2012 के बाद इस दिशा में ठोस प्रयास की तरफ तत्कालीन सरकारों ने कदम उठाने शुरू किए और गैरसैंण बाजार से 17 किमी दूर गॉव गैरसैण–कर्णप्रयाग रोड पर दीवालीखाल सारकोट गॉव के ऊपर बांज, देवदार पेड़ों से घिरे चोंटी पर स्थित सुंदर स्थान पर पर स्थित भराड़ीसैण में उत्तराखंड का नया विधानसभा भवन बनाने में गति मिली। 4,मार्च 2020 को तत्कालीन सरकार ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया जिसका शासनादेश 08 जून, 2020 को हुआ। मानसून सत्र जबसे खत्म हुआ है उसके बाद से ग्रीष्मकालीन राजधानी भराडीसैंण विधानसभा भवन सूना पड़ा है।

भराड़ीसैंण के आसपास ही हमारे एक ओर देश के प्रशिद्ध पंचप्रयाग की पावन जीवन–दायिनी सदानीरा नदियां, पंचकेदार के पवित्र धाम, बद्रीनारायण धाम,सिक्खों का पवित्र धाम हेमकुंड साहिब, कार्तिकेय स्वामी,रूप कुंड , बिनसर महादेव, गोपीनाथ, हिमालयी कुम्भ की प्रशिद्ध माँ नन्दा देवी कुरुड़, नौटी मंदिर, मां अनसूया देवी, उमादेवी जैसे अनेकानेक धार्मिक स्थल है तो दूसरी तरफ हिमक्रीड़ा स्थल के रूप में औली विश्व प्रसिद्व है।ऑली, दूधातोली,बेदनी, बेनिताल जैसे मखमली घास के बुग्याल है,जो साहसिक पर्यटन के रूप में लोगों का ध्यान आकर्षित करते है। वन्य–जीवों से विचरण करते वन्य जीव अभ्यारण है।

ऊँचें–ऊँचें हिम धवल शिखरों से चमचमाती चोंटियाँ, गिरते झरने, चहकती पक्षियां, गुनगुनाते भौरें,कल–कल करती सदानीरा नदियां, बेश–कीमती पेड़–पौधे और उनसे प्राप्त अमूल्य ओषधियों का भण्डार न केवल लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते है बल्कि देवभूमि की सुंदरता में चार चांद भी लगाते हैं। गैरसैंण ही उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा स्थान है जो हर जिले से सबसे कम दूरी पर स्थित है। पहाड़ के विकास को गति देने, पहाड़ की पीड़ा को समझने और पहाड़ी राज्य की परिकल्पना को नजदीक से अनुभव करने का बेहतर विकल्प भी है जिससे यहां के लोगों को बेहतर आधारभूत व्यवस्थाओं को उपलब्ध करा कर पलायन होने से रोका जा सकता, सामरिक दृष्टि से संवेदनशील पहाड़ को निर्जन होने से बचाया जा सके।।

बद्रीनाथ मंदिर

आस्था और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक

उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित बद्रीनाथ मंदिर, भारत के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में से एक है। यह मंदिर चार धामों (बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम) में शामिल है और हिमालय की गोद में बसी अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वास्तुकला संबंधी महत्व भी अद्वितीय है।

भौगोलिक स्थिति और वातावरण

बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 10,279 फीट (3133 मीटर) की ऊँचाई पर स्थित है। इसे 'नारायण पर्वत' पर स्थित माना जाता है और यह नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित है। मंदिर के समीप बहने वाली अलकनंदा नदी इस स्थान को और भी पवित्र बना देती है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, हरे–भरे जंगल और शुद्ध वातावरण इस तीर्थ स्थल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर बना देते हैं।

पौराणिक कथा और धार्मिक महत्व

बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं हैं। मुख्य रूप से यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें यहाँ बद्रीनाथ या 'बद्रीविशाल' के रूप में पूजा जाता है।

कहा जाता है कि नारद मुनि द्वारा डांटने के बाद भगवान विष्णु ने तपस्या के लिए इस स्थान को चुना था। जब वे ध्यान में लीन थे, तो माता लक्ष्मी ने उन्हें बर्फ और ठंड से बचाने के लिए बदरी (जुनिपर) के वृक्ष का रूप धारण किया और उन्हें ढँक लिया। जब भगवान विष्णु ने तपस्या पूरी की, तो उन्होंने इस स्थान को 'बद्रीवन' के रूप में धन्य किया। इसके अतिरिक्त, महाभारत में भी बद्रीनाथ की चर्चा है। माना जाता है कि पांडव स्वर्गारोहण से पूर्व इसी मार्ग से गए थे और यहाँ भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया था।

इतिहास और स्थापत्य कला

बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में

करवाया था। हालांकि, समय–समय पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण और विस्तार हुआ है। वर्तमान मंदिर एक गढ़वाली शैली की वास्तुकला में बना हुआ है, जो लकड़ी और पत्थरों के संयोजन से निर्मित है।

मंदिर का मुख्य द्वार रंगीन और आकर्षक है, जिसे 'सिंह द्वार' कहा जाता है। गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ की एक मीटर ऊँची काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है, जिसे 'शालग्राम शिला' से निर्मित माना जाता है। इस मूर्ति को 'मूर्ति पुरुषोत्तम' कहा गया है और इसकी पूजा शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपरा के अनुसार की जाती है।

धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव

बद्रीनाथ मंदिर में प्रतिदिन पाँच बार पूजा होती हैः अभिषेक पूजा, मध्यान्ह पूजा, संध्या आरती, शयन आरती और विशेष पूजन। मंदिर में वैष्णव परंपरा का अनुसरण किया जाता है, और यहाँ पूजा दक्षिण भारत के नंबूदरी ब्राह्मण पुजारी द्वारा की जाती है। विशेष रूप से 'बद्री केदार उत्सव' और 'माता मूर्ति का मेला' यहाँ के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में शामिल हैं। इन आयोजनों में हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं और मंदिर को फूलों से सजाया जाता है।

यात्रा और दर्शन का समय

बद्रीनाथ मंदिर वर्ष के केवल छह महीनों (अप्रैल/मई से लेकर अक्टूबर/नवंबर तक) ही खुला रहता है। शेष समय बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के कारण मंदिर बंद रहता है। मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं और दीपावली के बाद बंद कर दिए जाते हैं। कपाट बंद होने के बाद भगवान की पूजा जोशीमठ में की जाती है, जिसे शीतकालीन गद्दीस्थल माना जाता है।

चार धाम यात्रा में बद्रीनाथ का स्थान

बद्रीनाथ मंदिर चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिन्दू धर्म में चार धाम यात्रा को अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। बद्रीनाथ उत्तर भारत का धाम है, जबकि रामेश्वरम दक्षिण, द्वारका पश्चिम और पुरी पूर्व दिशा में स्थित हैं। बद्रीनाथ को 'मुक्ति धाम' कहा गया है, क्योंकि यहाँ की यात्रा को मोक्षदायी माना गया है।

साहसिक यात्रियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण

बद्रीनाथ न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि यह साहसिक यात्रियों और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। मंदिर के पास ही 'तप्त कुंड' नामक एक गर्म जलस्रोत है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करके पवित्र होते हैं। 'नारद कुंड', 'माना गाँव' (भारत का अंतिम गाँव), 'भीम पुल', 'व्यास गुफा', और 'सतोपंथ' झील यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं।

प्राकृतिक आपदाएं और उनका प्रभाव

2013 की उत्तराखंड बाढ़ ने केदारनाथ के साथ–साथ बद्रीनाथ क्षेत्र को भी प्रभावित किया था। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आस–पास की संरचनाएं और सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुईं। इसके बाद सरकार और विभिन्न एजेंसियों ने मिलकर पुनर्निर्माण कार्य किए और आज यह तीर्थस्थल सुरक्षित और सुलभ है।

आधुनिक प्रबंधन और सुविधाएँ

उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ धाम की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। डिजिटल रजिस्ट्रेशन, हेलीकॉप्टर सेवा, चिकित्सा सुविधा, ट्रैफिक नियंत्रण, और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से प्रयास किए जा रहे हैं। चार धाम सड़क परियोजना ने यात्रा को और भी आसान बना दिया है।

पर्यावरणीय चुनौती और संरक्षण

बद्रीनाथ धाम एक अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र में स्थित है। अत्यधिक पर्यटन, वाहन प्रदूषण, और ठोस अपशिष्ट की समस्या यहाँ के पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। इसलिए सरकार और तीर्थयात्रियों दोनों की जिम्मेदारी है कि वे इस पवित्र स्थल को स्वच्छ, सुरक्षित और प्राकृतिक बनाए रखें।

साहित्य, कला और बद्रीनाथ

बद्रीनाथ का उल्लेख भारतीय साहित्य, कविता और भक्ति गीतों में व्यापक रूप से हुआ है। कबीर, तुलसीदास, मीराबाई जैसे संतों ने बद्रीनाथ धाम की महिमा का गुणगान किया है। यहाँ के भजन, आरती और धार्मिक ग्रंथ भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य हिस्सा हैं।

बद्रीनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ की यात्रा एक आत्मिक अनुभव है, जो श्रद्धालु के भीतर गहरी शांति और संतोष का संचार करती है।

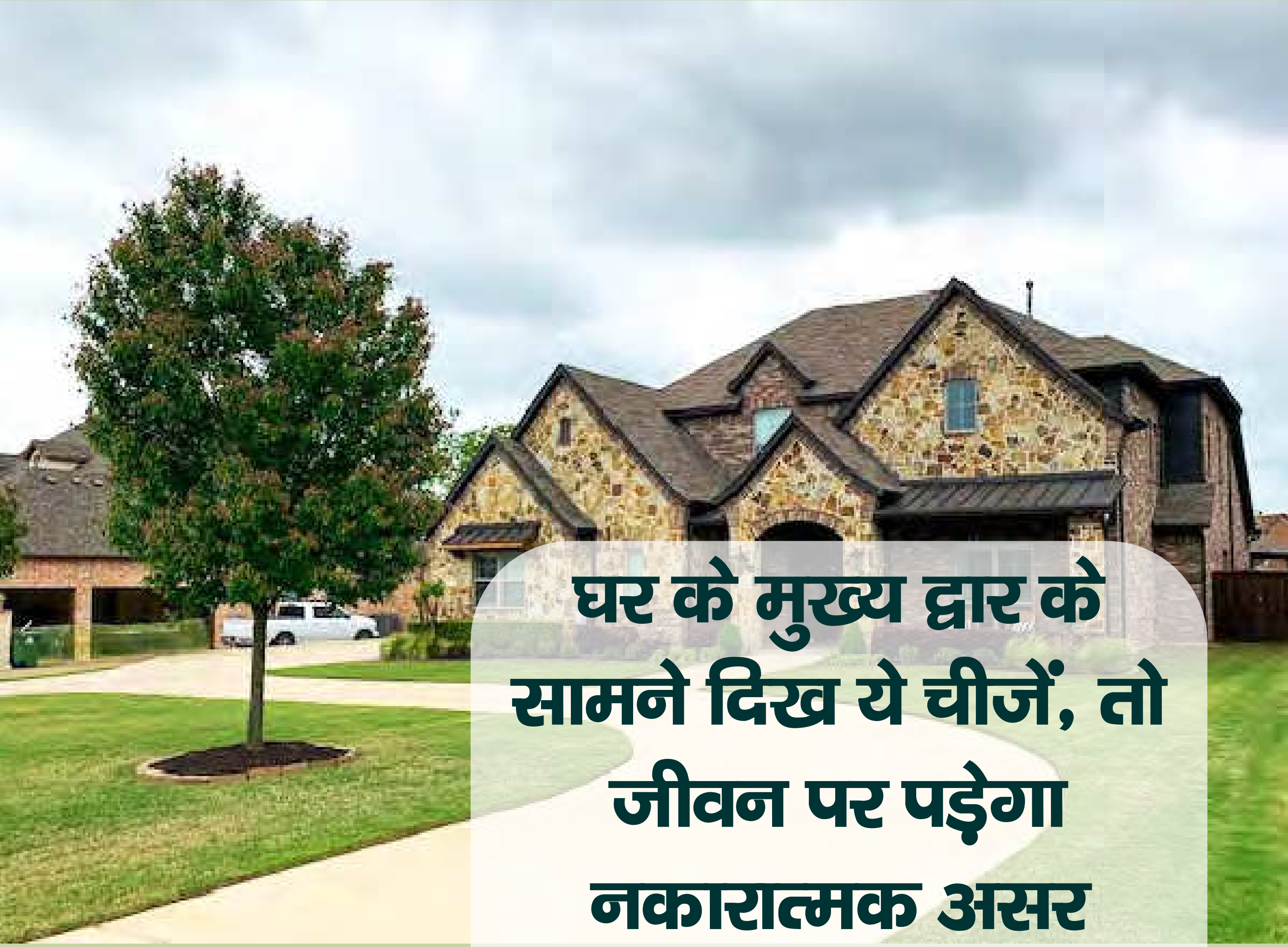

घर के मुख्य द्वार के सामने दिख ये चीजें, तो जीवन पर पड़ेगा नकारात्मक असर

घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए वास्तु के नियमों का उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में वास्तु दोष होने पर तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। घर की खुशहाली के लिए वास्तु का ठीक होना जरूरी है। घर के मुख्य द्वार पर वास्तु के हिसाब से ही चीजें रखनी चाहिए, जिससे आपके जीवन पर नकारात्मक असर न पड़े। पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी ने विस्तार से इस बारे में बताया है।

घर के सामने ना रखें कचरे का ढेर

आपके घर के मुख्य द्वार के सामने अगर कचरे का ढेर है, तो यह बहुत ही नकारात्मक होता है। ऐसा होने पर आपके बनने वाले कामों में भी बाधा उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। आप घर के बाहर निकलेंगे वैसे ही कचरा देखकर मन में नकारात्मकता आने लगेगी। यह आपके बनने वाले कामों को भी बिगाड़ देगी।

घर के सामने ना लगाएं कांटेदार पौधे

घर के सामने कांटेदार पौधों को लगाने से बचना चाहिए। अगर, आपने कैक्टस का पौधा घर के मुख्य द्वार पर ही लगा दिया है, तो यह आपको बेवजह की चिंताएं देगा। घर में ऐसा माहौल बन जाएगा कि सभी लोग परेशान ही रहेंगे। घर के सामने कांटेदार पौधे को तुरंत हटा देना चाहिए।

घर के सामने न लगाएं बड़ा पेड़

घर के सामने कोई बड़ा पेड़ नहीं लगाना चाहिए। यह आपके जीवन में नकारात्मकता लेकर आता है। इसका सीधा प्रभाव घर के मुखिया के जीवन पर पड़ता है। ऐसे में यह कोशिश करनी चाहिए कि घर के मुख्य दरवाजे के सामने किसी भी तरह का बड़ा पेड़ नहीं लगाना चाहिए।

घर के मुख्य द्वार के सामने न हो नाली या नाला

आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई बड़ा नाला या नाली बनी हुई है, तो यह आपका जीवन वास्तु दोष का शिकार हो सकता है। ऐसे में जीवन में नकारात्मकता आने से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है।

सभार : नई दुनिया

डिसक्लेमर :– 'इस लेख में दी गई जानकारी/सामग्री/गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/धार्मिक मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई हैं। इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी।'

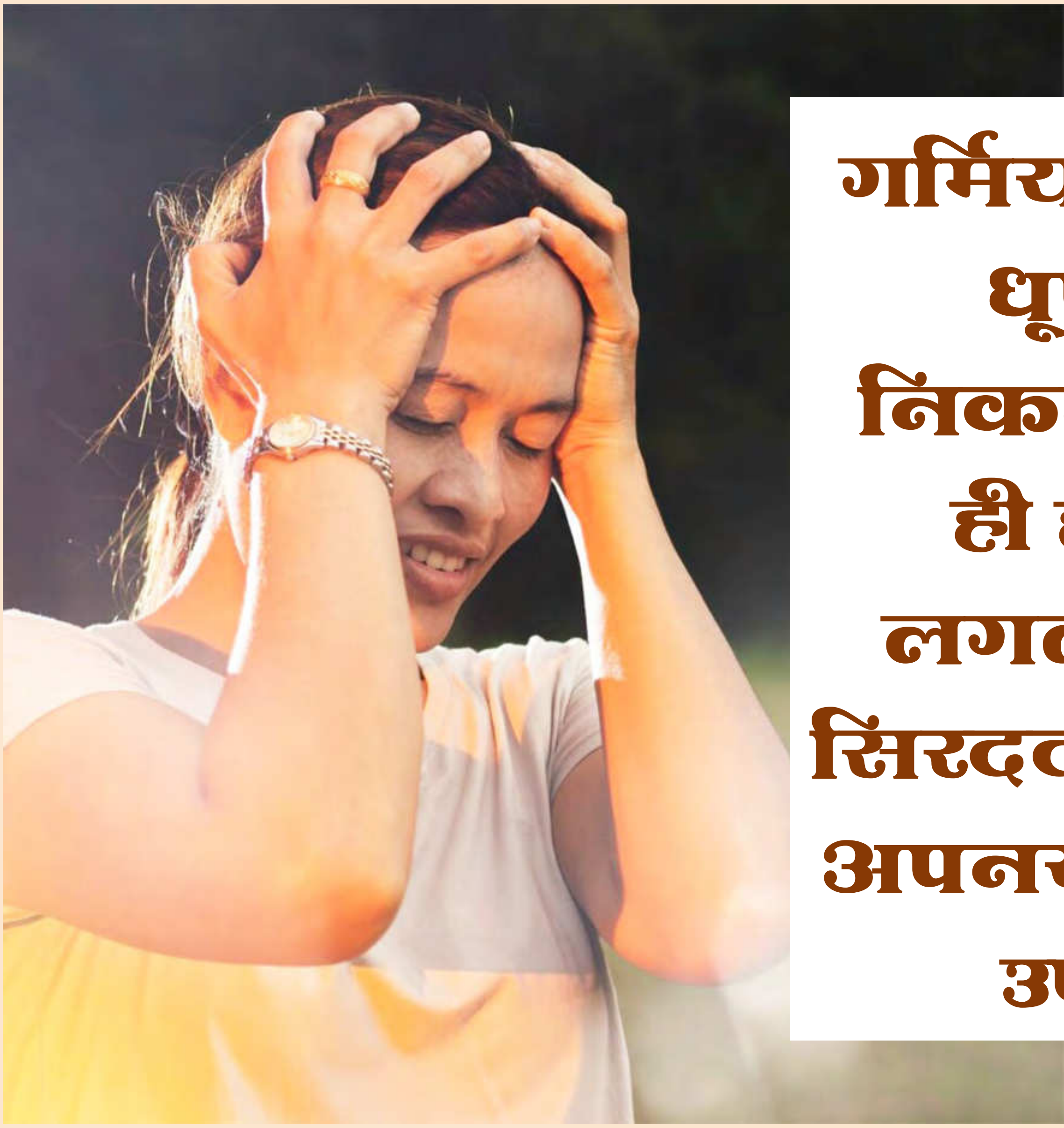

गर्मियों में धूप में निकलते ही होने लगता है सिरदर्द तो अपनायें ये उपाय

गर्मी का पारा लगातार बढ़ रहा है। देशभर में गर्मी और उमस बढ़ रही है और इस वजह से लोगों की हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। गर्मियों में जहां लू लगने के कारण लोगों की तबियत बिगड़ सकती है वहीं कुछ छोटी–मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स रोजाना या जल्दी–जल्दी महसूस हो सकती हैं। गर्मियों में डिहाइड्रेशन और कमजोरी जैसी समस्याएं ऐसी ही हैं। साथ ही कुछ लोगों को रोज सिर में दर्द होने की प्रॉब्लम भी होती है। विशेषकर धूप में निकलते ही लोगों को गर्मियों में सिरदर्द होने लगता है। आइए जानते हैं बार–बार होने वाले इस सिरदर्द से आराम के उपाय क्या हैं और क्यों होता है सिरदर्द।

गर्मियों में सिरदर्द के कारण

तेज धूप में रहने के कारण डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ जाती है और इससे सिर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा लू लगने या हीट स्ट्रोक के कारण भी सिर में दर्द हो सकता है। वही, माइग्रेन वाले लोगों को गर्मी में सिरदर्द बढ़ने की समस्या बढ़ सकती है।

सिर दर्द से बचने के लिए सिर को ढंकें

जब भी धूप में निकलें तो अपने सिर को धूप से बचाने के उपाय करें। छाता, स्कार्फ और टोपी जैसी चीजों का इस्तेमाल करें।

शरीर का तापमान करें कंट्रोल

धूप से लौटने के बाद ठंडी जगह पर बैठें। इसी तरह एसी कमरे में बैठें। अपने शरीर का तापमान कम रखने में मदद करें।

डाइट का रखें ध्यान

गर्मियों में सादा और हल्का खाना खाएं। तुरई, खीरा, ककड़ी जैसी रसीली सब्जियां खाएं। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अधिक मात्रा में करें।

हाइड्रेटेड रहें

इस दौरान ठंडा पानी पिएं और हाइड्रेटेड रहें। दिन में नारियल पानी पिएं। सब्जियों का जूस, छाछ का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करें।

डिसक्लेमर :– प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। टाईम विटनेस इस जानकारी के लिए जम्मिदारी का दावा नहीं करता है।

12वीं के बाद सरकारी नौकरियों की तैयारी

(एसएससी, एनडीए, रेलवे आदि)

डॉ. अफरोज इकबाल

1. लक्ष्य का चयन करें'

12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करने से पहले, सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने लक्ष्य का चयन करना। क्या आप एसएससी, एनडीए, रेलवे, या कोई अन्य सरकारी परीक्षा देना चाहते हैं?

'उदाहरणः' अगर आपकी रुचि भारतीय सेना में है, तो एनडीए (नेशनल डिफेंस एकेडमी) की तैयारी करें। अगर आप क्लर्क या कंसटेबल की नौकरी चाहते हैं, तो एसएसस या रेलवे की परीक्षा में फोकस करें।

'2. समय प्रबंधन और दिनचर्या बनाएं'

आपके पास समय सीमित है, और अगर आप एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अच्छे समय प्रबंधन की जरूरत है।

'उदाहरणः' आपको 4 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निर्धारित करना चाहिए, और रोजाना 1–2 घंटे मॉक टेस्ट और रिवीजन

✦ आपको 4 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निर्धारित करना चाहिए।

✦ हर परीक्षा का एक अलग सिलेबस होता है।

✦ मॉक टेस्ट से आपको अपनी तैयारी का आकलन करने का अवसर मिलता है।

✦ आपको आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना होगा।

के लिए रखिए।

'3. पाठ्यक्रम और सिलेबस का विश्लेषण करें' : हर परीक्षा का एक अलग सिलेबस होता है। आपको यह जानना होगा कि परीक्षा में कौन से विषय और टॉपिक्स शामिल हैं।

'उदाहरण:' एसएसस की परीक्षा में गणित, सामान्य ज्ञान, और सामान्य भाषा शामिल होती है, जबकि एनडीए में गणित, भौतिकी, और सामान्य ज्ञान शामिल होते हैं।

'4. नोट्स और स्टडी मटेरियल तैयार करें' : अच्छे नोट्स और सही स्टडी मटेरियल से आपकी तैयारी में बहुत मदद मिलती है।

'उदाहरण:' आप डॉ. अफरोज इकबाल के चैनल से विषयों को अच्छी तरह समझ सकते हैं, और इसके अलावा, विभिन्न किताबों और ऑनलाइन संसाधनों का भी उपयोग कर सकते हैं।

'5. मॉक टेस्ट और पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करें'

मॉक टेस्ट से आपको अपनी तैयारी का आकलन करने का अवसर मिलता है और यह समय प्रबंधन में मदद करता है।

'उदाहरण:' पिछले साल के एसएससी या एनडीए के प्रश्न पत्र हल करें, ताकि आप परीक्षा के पैटर्न और सवालों की प्रकार को समझ सकें।

'6. मानसिक तैयारी और आत्मविश्वास बढ़ाएं' : सरकारी नौकरी की तैयारी में केवल किताबों की जरूरत नहीं होती, बल्कि मानसिक तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।

'उदाहरण:' आपको आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी की परीक्षा में लंबा समय लगता है।

'7. नियमित रूप से अपडेट रहें और मोटिवेटेड रहें'

आखिरकार, सरकारी नौकरियों की तैयारी के दौरान आपको नियमित रूप से अपडेट रहना होगा।

'उदाहरण:' आप Dr Afroze Eqbal के यूट्यूब चैनल पर कॅरियर गाइड की वीडियो देखकर अपनी तैयारी को और प्रभावी बना सकते हैं, और साथ ही मोटिवेशन बनाए रख सकते हैं।

'निष्कर्ष:' 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए आपको सही दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता है। समय प्रबंधन, सिलेबस का विश्लेषण, और सही मार्गदर्शन से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। क्त ।तिव्रम मुइंस के चैनल को फॉलो करें, और हर कदम पर सही दिशा में मार्गदर्शन पाएं।

मैं टाईम विटनेस की सदस्यता ले रहा/रही हूं।

नाम – श्री/श्रीमती/कुमारी...जन्म तिथि...

पता..

....राज्य...

फोन (निवास)..................................मोबाईल...ई–मेल...

कृपया Time Witness के नाम का डी.डी. या चेक नं...............................तिथि........................प्राप्त करें।

बैंक का नाम...

कृपया इस फार्म को भरकर डी.डी. या चेक के साथ हमे इस पते पर भेंजे।

टाईम विटनेस, मासिक पत्रिका

नियर रिवरेन पब्लिक स्कूल, ब्राह्मणवाला, निरंजनपुर, देहरादून– 248171

7409293012, 7078188479

अवधि	अंको की संख्या	कवर मूल्य	बचत	सब्सक्रिप्शन मूल्य
1 वर्ष	12	150.00	30.00	180
2 वर्ष	24	290.00	70.00	360
3 वर्ष	36	430.00	110.00	540
4 वर्ष	48	520.00	200.00	720

नियम व शर्तें

1. यह योजना केवल भारत में ही मान्य है।

2. पत्रिका साधारण डाक द्वारा भेजी जाएगी तथा डाक गुम हो जाने पर जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी। सूचना प्राप्त होने पर यदि वह अंक उपलब्ध रहता है तो पुनः निशुल्क प्रेषित कर दिया जायेगा।,

3. कूरियर रजि. डाक से मंगवाने के लिए ग्राहक का कूरियर रजि. डाक खर्च अतिरिक्त वहन करना होगा।

4 सभी विवादों का निपटारा देहरादून (उत्तराखण्ड) न्यायालय के अधीन होगा।

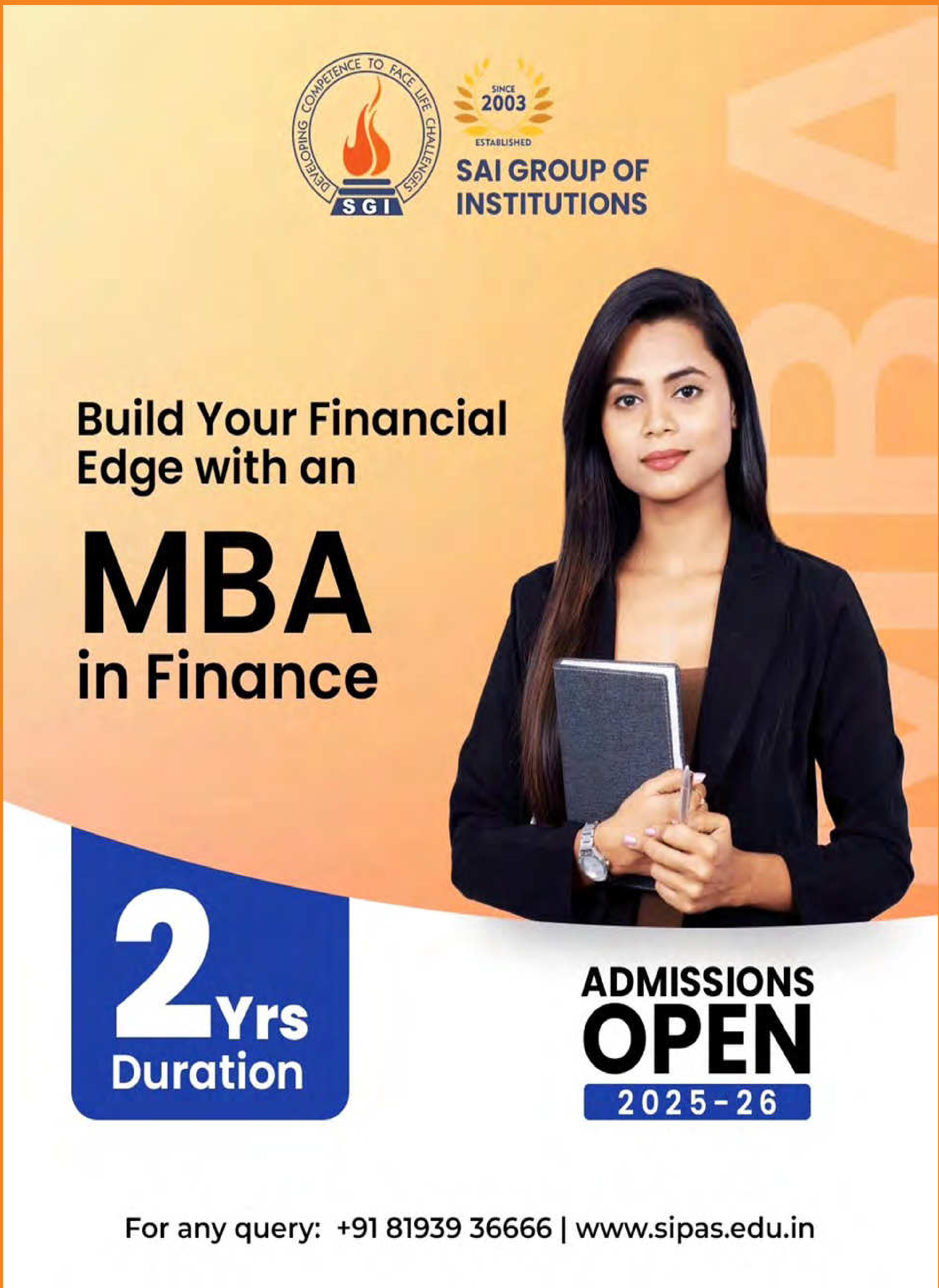
DEVELOPING COMPETENCE TO FACE LIFE CHALLENGES
SGI
SINCE 2003 ESTABLISHED
SAI GROUP OF INSTITUTIONS
Build Your Financial Edge with an
MBA
in Finance
2 Yrs Duration
ADMISSIONS OPEN
2025-26
For any query: +91 81939 36666 | www.sipas.edu.in

RAS BIHARI BOSE
SUBHARTI UNIVERSITY
Dehradun

Approved by Uttarakhand Government by Act No. 35 of 2016

admission@rbbsu.edu.in
instagram.com/rbbsuddn
facebook.com/rbbsu

Where Education is a Passion...

ADMISSIONS OPEN

• 24x7 healthcare services • Attached Subharti Hospital

• Scholarships for Meritorious Students, Uttarakhand Residents & Wards of Army personnel

390+ Faculty Members | 4k Alumini | 40+ Programs | 10+ Hostels

Career Oriented Courses

MEDICINE
• MBBS (Through NEET UG)

PARAMEDICAL
• B.Sc. in Optometry
• B.Sc. in Medical Lab Technology
• B.Sc. in MRIT
• M.Sc. in Medical Microbiology
• M.Sc. in Medical Anatomy
• M.Sc. in Medical Biochemistry
• B.Sc. in OT Technician*

PHYSIOTHERAPY
• Bachelor of Physiotherapy
• Master of Physiotherapy (Neuro/Ortho/Sports)

NURSING
• B.Sc. Nursing & GNM
• Post Basic B.Sc. Nursing

PHARMACY
• B.Pharm
• B.Pharm (LE)
• D.Pharm

FINE ARTS & FASHION DESIGN
• BFA (Bachelor of Fine Arts)
• BPA (Bachelor of Performing Arts)
• MFA (Master of Fine Arts)
• BFD (Bachelor in Fashion Designing)

HOTEL MANAGEMENT
• Bachelor in Hotel Management
• B.Sc. HHA
• Diploma/ Certificate courses

EDUCATION
• B.Ed.
• M.A. Education

LIBRARY SCIENCE
• Bachelor in Library Science
• Master in Library Science

BUDDHIST STUDIES
• M.A.

NATUROPATHY & YOGIC SCIENCES
• BNYS

COMPUTER APPLICATION
• BCA

BASIC & APPLIED SCIENCE
• B.Sc. in PCM /CBZ
• M.Sc. in Chemistry/Botany/ Zoology/Physics/Math

COMMERCE
• BMS • BBA • B.Com • M.Com

ARTS
• B.A. • M.A.

Ph.D. PROGRAMME
• Arts & Social Sciences (Hindi, English, Sociology, Political Science, History, Economics)
• Health Sciences (Medical Anatomy, Biochemistry, Microbiology, Public Health & Physiotherapy)
• Buddhist Studies
• Pharmacy
• Painting & Fine Arts
• Nursing Studies
• Education
• Commerce & Management Studies

Free counselling for students & parents

* Subject to approval

8194007624, 7617585574

www.rbbsu.edu.in

Subhartipuram Phase-I, Kotda Santaur, Aamwala Road, P.O.- Chandanwadi, Nanda ki Chowki, Premnagar, Dehradun